Government of Madhya Pradesh

सृजन
2015

O.D.L.S.
ONLINE DRUGS LICENSING SYSTEM
Food & Drugs Administration
Madhya Pradesh

यूजर गाइड
USER GUIDE

Government of M.P.
Public Health and Family Welfare Department
Food and Drugs Administration Madhya Pradesh, Bhopal
मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

M.P. Online Limited
एम.पी.ऑन लाइन लिमिटेड
मध्यप्रदेश सरकार एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम
मध्यप्रदेश सरकार का पोर्टल

सृजन O.D.L.S. सुझाव या शिकायत हेतु नं. 07554019400
सृजन O.D.L.S. हेल्प डेस्क ई-मेल cfdamp@radiffmail.com,contact@mponline.gov.in

Federation of Madhya Pradesh Chambers of Commerce & Industry, Bhopal
2nd OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARDS 2014
inrecognition of
excellence in Most Facilitating Department for Ease of Doing Business
Category Jury Award

Government of Madhya Pradesh

सृजन 2015

O.D.L.S.

ONLINE DRUGS LICENSING SYSTEM
Food & Drugs Administration
Madhya Pradesh

यूजर गाइड
USER GUIDE

Government of M.P.
Public Health and Family Welfare Department
Food and Drugs Administration Madhya Pradesh, Bhopal
मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

M.P. Online Limited
एम.पी.ऑन लाइन लिमिटेड
मध्यप्रदेश सरकार एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड
का संयुक्त उपक्रम
मध्यप्रदेश सरकार का पोर्टल

प्रेरणा

माननीय श्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा
मंत्री
लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन
एवं
माननीय श्री शरद जैन
राज्य मंत्री
लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन

दिशा बोध

श्रीमति गौरी सिंह
आई.ए.एस
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय – भोपाल

मार्ग दर्शन

श्री पंकज अग्रवाल
आई.ए.एस
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
ईदगाह हिल्स मध्यप्रदेश

तकनीकी सहयोग

श्री सतनाम सिंह सेठी
सी.ओ.ओ
एम.पी. ऑन लाइन मध्यप्रदेश

श्री रमीज़ खान
सीनियर बिजिनेस एनालिस्ट
एम.पी. ऑन लाइन मध्यप्रदेश

श्री राजेश चतुर्वेदी
सीनियर सा. इंजीनियर
एम.पी. ऑन लाइन मध्यप्रदेश

परामर्श मंडल

श्री प्रमोद शुक्ला
संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश

श्री राजीव अग्रवाल
राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश

श्री रजनीश चौधरी
राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश

श्री धर्मेश बिगोनिया
औषधि निरिक्षक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश

श्रीमति अनुमेहा विवेक कौशल
औषधि निरिक्षक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश

श्रीमति वंदना कोष्ठी
औषधि निरिक्षक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल
औषधि निरिक्षक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश

संपादन

शोभित
उप औषधि नियंत्रक
मध्यप्रदेश

■ संदेश ■

खाद्य एवं औषधि प्रशासन का मुख्य दायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विनियम तथा नियम 2011, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 का क्रियान्वयन है। इस प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का सीधा संबंध आम नागरिकों तथा खाद्य/दवा व्यवसायियों से है। दिनांक 01.01.2015 से इस प्रशासन द्वारा की जाने वाली औषधि विक्रय प्रक्रिया का तथा दिंनांक 26.01.2015 पूर्व से प्रदत्त औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों में अतिरिक्त योगों के समायोजन की लायसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण करके उसे ऑनलाइन किया गया है। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को समस्त वांछित दस्तावेज ऑनलाइन ही जमा करने होते हैं तथा उन्हें अनुज्ञप्ति/अनुमति भी ऑनलाइन ही प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को राज्य शासन की Ease of doing business की मंशानुसार सरलतम स्वरूप में, कम से कम दस्तावेजी कार्यवाही तथा बिना किसी भौतिक दस्तावेज प्रस्तुति के तैयार किया गया है। समयावधि में कार्य पूर्ण हो यह सुनिश्चित करने के लिये पूर्व मानवीय प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करते हुये बदलाव किये गये हैं। वर्तमान प्रक्रिया ज्यादा व्यवहारिक तथा परिणाम मूलक हैं।

उपभोक्ता के लिये हर प्रक्रिया में बदलाव आने पर ढेरों प्रश्न उपस्थित होते हैं। वर्तमान प्रक्रिया का स्वरूप, कार्य संपादन के स्तर तथा सम्पूर्ण कार्यवाही से उपभोक्ता को अवगत कराने हेतु यह मार्गदर्शिका ''सृजन'' Online Drugs Licensing System (ODLS तैयार की गई है। इस मार्गदर्शिका को तैयार करते वक्त उपभोक्ता के स्तर से आने वाली जिज्ञासाओं/प्रश्नों का भी ख्याल रखा गया है। साथ ही आवेदन प्रक्रिया के हर स्तर को उचित चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है।

''सृजन'' Online Drugs Licensing System (ODLS) के माध्यम से दवा व्यवसायियों तथा आम नागरिकों को खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा सम्पादित की जाने वाली ऑन लाइन सेवाओं को समझने तथा सहज रूप में उपयोग करने में सुगमता होगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश

विषय वस्तु

1.सृजन ओ.डी.एल.एस. क्या है ?
2.उपयोगकर्ता
3.उद्देश्य
4.ऑन लाइन संपादित की जाने वाली प्रक्रियाओं का विवरण
4.1 औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियों का विवरण एवं उनके प्रदाय की प्रक्रिया
4.1.1 औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन
4.1.2 औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता एवं अनुज्ञप्तियों का विवरण
4.1.3 आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
4.1.4 कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
4.1.5 औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्रदाय के संबंध में निर्धारित शुल्क
4.1.6 औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्रदाय की प्रक्रिया

4.2 पूर्व से प्रदत्त औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण का विवरण एवं प्रक्रिया एवं प्रक्रिया
4.2.1 औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन
4.2.2 औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु पात्रता एवं अनुज्ञप्तियों का विवरण
4.2.3 आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
4.2.4 कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
4.2.5 औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के संबंध में निर्धारित शुल्क
4.2.6 औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति नवीनीकरण की प्रक्रिया

4.3 पूर्व से प्रदत्त औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों में अतिरिक्त योगों के समायोजन का विवरण एवं प्रक्रिया
4.3.1 औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों में अतिरिक्त योगों के समायोजन हेतु आवेदन
4.3.2 औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों में अतिरिक्त योगों के समायोजन की पात्रता एवं अनुज्ञप्तियों का विवरण
4.3.3 आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज की सूची
4.3.4 कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
4.3.5 पूर्व से प्रदत्त औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों में अतिरिक्त योगों के समायोजन का निर्धारित शुल्क
4.3.6 पूर्व से प्रदत्त औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों में अतिरिक्त योगों के समायोजन की प्रक्रिया

4.4 औषधियों के परीक्षण, जांच/विश्लेषण हेतु जारी की जाने औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों का विवरण एवं उनके प्रदाय की प्रक्रिया
4.4.1 औषधियों के परीक्षण, जांच/विश्लेषण के संबंध में जारी की जाने औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों हेतु आवेदन
4.4.2 औषधियों के परीक्षण, जांच/विश्लेषण के संबंध में जारी की जाने औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों को प्राप्त करने की पात्रता

4.4.3 आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज की सूची

4.4.4 कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

4.4.5 औषधियों के परीक्षण, जांच/विश्लेषण के संबंध में जारी की जाने औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों को प्राप्त करने का निर्धारित शुल्क

4.4.6 औषधियों के परीक्षण, जांच/विश्लेषण हेतु औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति को जारी करने की प्रक्रिया

4.5 औषधि अनुज्ञप्तिधारी को अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र जारी करने का विवरण एवं प्रदाय की प्रक्रिया

4.5.1 औषधि अनुज्ञप्तिधारी को अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र हेतु आवेदन

4.5.2 औषधि अनुज्ञप्तिधारी को अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता

4.5.3 आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

4.5.4 कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

4.5.5 अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र प्रदाय की प्रक्रिया

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन, खाद्य पदार्थो, औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने का कार्य निष्पादित करता है। इस कार्य के निर्वहन में प्रशासन की मुख्य गतिविधियाँ मुख्यतः इस प्रकार हैः–

- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 एवं विनियम, 2011 का क्रियान्वयन।
- खाद्य पदार्थ, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के निर्माण एवं विक्रय में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।
- खाद्य पदार्थ, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के निर्माण भण्डारण, विक्रय वितरण से संबद्ध ईकाईयों को संबंधित गतिविधि हेतु अनुज्ञप्ति जारी करना।
- समय समय पर आयोजित होने वाली प्रदर्शिनियों के माध्यम से जन साधारण को शिक्षित करना।

1. सृजन ओ.डी.एल.एस. क्या है ?

सृजन ओ.डी.एल.एस. – ऑन लाइन ड्रग लायसेंस प्रदाय व्यवस्था (औषधि अनुज्ञप्ति) की अभिनव पहल है। इसके अंर्तगत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत प्रदाय किये जाने वाले लायसेंस ऑन लाइन जारी किये जाते हैं। सृजन ओ.डी.एल.एस. का निर्माण एम.पी.ऑन लाइन लिमिटेड (मध्यप्रदेश सरकार का पोर्टल) तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा किया गया है। इसके द्वारा लायसेंस प्रदाय की ऑन लाइन प्रक्रिया को सरलतम रुप में वर्णित किया गया है। इस प्रक्रिया की विशेषतायें निम्नानुसार हैः–

1. आवेदक को ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने पर ऑन लाइन लायसेंस प्राप्त होना।
2. पारदर्शिता।
3. पूर्व मेनुअल प्रक्रिया की तुलना में इस प्रक्रिया में लायसेंस प्राप्ति के चरण (स्टेप्स) कम होन
4. आवेदन की वर्तमान स्थिति जानने हेतु ट्रेकिंग प्रक्रिया
5. एस.एम.एस. तथा ई–मेल के द्वारा लायसेंस प्रदाय की प्रत्येक चरण में आवेदक को सूचित करना।
6. ऑन लाइन लायसेंस डिजिटल हस्ताक्षर से जारी कर प्राप्त होना।
7. वरिष्ठ अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारियों की कार्य प्रगति का लेखा जोखा ज्ञात होना।

2. उपयोगकर्ता

सृजन ओ.डी.एल.एस. का उपयोग हर वह आम नागरिक एवं अनुज्ञप्तिधारी कर सकता है जिसे औषधियों के व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करना है अथवा प्राप्त है।

3. उद्देश्य

इस यूजर मेनुअल का उददेश्य ऑन लाइन औषधि लायसेंस की प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन है। सृजन ओ.डी.एल.एस. का उददेश्य बिना कागजी कार्यवाही के लायसेंस प्रदाय एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल एवं सहज तरीके से पूर्ण पारदर्शिता बनाना एवं समयावधि में संपादित करना।

4. ऑन लाइन संपादित की जाने वाली प्रक्रियाओं का विवरण :–

''सृजन'' ओ.डी.एल.एस के माध्यम से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की नियमावली, 1945 के अंतर्गत जारी की जाने वाली औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियों का विवरण एवं उनके प्रदाय की प्रक्रिया :–

4.1.1 औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन :–

औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन ऑन लाइन जमा किया जावेगा जिसकी सुविधा एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

4.1.2 औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता एवं अनुज्ञप्तियों का विवरण :–

औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में प्रावधानित है। औषधि एव प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के अंतर्गत औषधि विक्रय हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञप्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

अ. क्र.	अनुज्ञप्ति फार्म क्र.	वि `ता का प्रकार	नियमावली की अनुसूची अनुसार औषधि की श्रेणी	आवेदन प्रपत्र क्र.	आवश्यक शुल्क	पात्रता हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम
1	20	खेरची	सी, सी 1 एवं एक्स के अलावा	19	1500/–	64 एवं 65
2	21	खेरची	सी, सी 1 परंतु एक्स के अलावा	19	1500/–	64 एवं 65
3	20 बी	थोक	सी, सी 1 एवं एक्स के अलावा	19	1500/–	64 एवं 65
4	21 बी	थोक	सी, सी 1 परंतु एक्स के अलावा	19	1500/–	64 एवं 65
5	20 ए	सीमित खेरची	सी, सी 1 एवं एक्स के अलावा	19 ए	500/–	62 बी
6	21 ए	सीमित खेरची	सी 1 परंतु एक्स के अलावा	19 ए	500/–	62 बी
7	20 एफ	खेरची	शेडयूल एक्स की दवायें	19 सी	500/–	64 एवं 65
8	20 जी	थोक	शेडयूल एक्स की दवायें	19 सी	500/–	64 एवं 65

नोट :– एम.पी.ऑन लाइन का पोर्टल शुल्क रूपये 150/– प्रति आवेदन होगा।

4.1.3 आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :—

4.1.3.1 तखेरची (रिटेल) :—

- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नियुक्ति पत्र (यदि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एवं आवेदक अलग अलग व्यक्ति हों तो)।
- दुकान/प्रस्तावित स्थल का नक्शा (दो अन्य नागरिकों के प्रतिहस्ताक्षर के साथ)।
- दो नागरिकों के पहचान संबंधी दस्तावेज जिनके हस्ताक्षर दुकान के प्रस्तावित स्थल के नक्शे पर हों।
- आवेदक का घोषणा पत्र।
- दुकान/प्रस्तावित स्थल का बिजली का बिल।
- आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र।
- आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर (केवल जेपीजी अथा जेपीईजी फार्मेट में)।
- फर्नीचर के साथ दुकान/प्रस्तावित स्थल का फोटो (केवल जे.पी.जी अथा जे.पी.ई.जी फार्मेट में)।
- दुकान/प्रस्तावित स्थल के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र/वास्तविक मालिक के साथ किरायानामा ।
- रेफ्रिजरेटर का खरीदी बिल ।
- आवेदक के शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट (हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी /स्नातक)।
- आवेदक का आवासीय प्रमाण पत्र।
- फर्म के संविधान संबंधी दस्तावेज — पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म के संबंध में)/डायरेक्टरों की सूची, फर्म मेमोरेण्डम ऑफ आर्टीकल एवं सी ओ आई इत्यादि (लिमिटेड एवं प्रायवेट लिमिटेड के संबंध में)।
- उस व्यक्ति का घोषणा पत्र जिसके द्वारा शेडयूल एक्स में वर्णित औषधि का रखरखाव एवं विक्रय किया जाना है। (केवल शेडयूल एक्स की औषधियों के विक्रय हेतु अनुमति प्राप्त करने के सेबंध में)।
- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का शपथ पत्र।
- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सहमति पत्र।
- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का पहचान प्रमाण पत्र।
- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का फोटो एवं हस्ताक्षर (केवल जे.पी.जी अथवा जे.पी.ई.ज फार्मेट में)।
- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट (हाईस्कूल /हायर सेकेंडरी/डिप्लोमा/स्नातक)।
- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का आवासीय प्रमाण पत्र।
- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (दोनों तरफ का)।
- शेडयूल एक्स की दवाओं को स्टोर करने हेतु ताला चाबी की व्यवस्था संबंधी घोषणा पत्र (केवल शेडयूल एक्स दवाओं के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की स्थिति में)।

4.1.3.2 थोक (होलसेल) :—

- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट/सक्षम व्यक्ति का नियुक्ति पत्र (यदि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट/सक्षम व्यक्ति एवं आवेदक अलग अलग व्यक्ति हों तो)।
- दुकान/प्रस्तावित स्थल का नक्शा (दो अन्य नागरिकों के प्रतिहस्ताक्षर के साथ) ।
- दो नागरिकों के पहचान संबंधी दस्तावेज जिनके हस्ताक्षर दुकान के प्रस्तावित स्थल के नक्शे पर हों।
- आवेदक का घोषणा पत्र।
- दुकान/प्रस्तावित स्थल का बिजली का बिल।
- आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र।
- आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर (केवल जे.पी.जी अथा जे.पी.ई.जी फार्मेट में)।

- फर्नीचर के साथ दुकान/प्रस्तावित स्थल का फोटो (केवल जे.पी.जी अथा जे.पी.ईजी फार्मेट में)।
- दुकान/प्रस्तावित स्थल के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र/वास्तविक मालिक के साथ किरायानामा ।
- रेफ्रिजरेटर का खरीदी बिल ।
- आवेदक के शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट (हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी/स्नातक)।
- आवेदक का आवासीय प्रमाण पत्र।
- फर्म के संविधान संबंधी दस्तावेज– पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म के संबंध में)/डायरेक्टरों की सूची, फर्म मेमोरेण्डम ऑफ आर्टीकल एवं सी ओ आई इत्यादि (लिमिटेड एवं प्रायवेट लिमिटेड के संबंध में)।
- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट /सक्षम व्यक्ति का शपथ पत्र।
- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट /सक्षम व्यक्ति का शपथ पत्र।
- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट /सक्षम व्यक्ति का शपथ पत्र।
- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट/सक्षम व्यक्ति का फोटो एवं हस्ताक्षर (केवल जे.पी.जी अथवा जे.पी.ई.जी फार्मेट में
- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट/सक्षम व्यक्ति के शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट (हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी एवं डिप्लोमा अथवा स्नातक)।
- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट/ सक्षम व्यक्ति का आवासीय प्रमाण पत्र।
- रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट(रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही सक्षम व्यक्ति होने की दशा में)
- सक्षम व्यक्ति द्वारा औषधि विक्रय में प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र एवं जिस औषधि विक्रय संस्थान से अनुभव प्राप्त किया गया उस औषधि विक्रय संस्थान की अनुज्ञप्ति की छायाप्रति।
- शेडयूल एक्स की दवाओं को स्टोर करने हेतु ताला चाबी की व्यवस्था संबंधी घोषणा पत्र शेडयूल एक्स दवाओं के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की स्थिति में)।
- उस व्यक्ति का घोषणा पत्र जिसके द्वारा शेडयूल एक्स में वर्णित औषधि का रखरखाव एवं विक्रय किया जाना है। (केवल शेडयूल एक्स की औषधियों के विक्रय हेतु अनुमति प्राप्त करने के सेबंध में)।

4.1.3..3 सीमित खेरची (सीमित रिटेल)

- दुकान/प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिंट में नक्शा (दो अन्य नागरिकों के प्रतिहस्ताक्षर के साथ)।
- दो नागरिकों के पहचान संबंधी दस्तावेज जिनके हस्ताक्षर दुकान के प्रस्तावित स्थल के नक्शे पर हों।
- आवेदक का घोषणा पत्र/शपथ पत्र ।
- दुकान/प्रस्तावित स्थल का बिजली का बिल।
- आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र।
- आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर (केवल जे.पी.जी अथा जे.पी.ई.जी फार्मेट में)।
- फर्नीचर के साथ दुकान/प्रस्तावित स्थल का फोटो (केवल जे.पी.जी अथा जे.पी.ई.जी फार्मेट में)।
- दुकान/प्रस्तावित स्थल के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र/वास्तविक मालिक के साथ किरायानामा।
- आवेदक के शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट (हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी/स्नातक)।
- आवेदक का आवासीय प्रमाण पत्र।
- पार्टनरशिप डीड (प्रोप्रायटर/पार्टनरशिप फर्म के संबंध में)/डायरेक्टरों की सूची, फर्म मेमोरेण्डम ऑफ आर्टीकल एवं सी ओ आई इत्यादि (लिमिटेड के प्रकरण में)।

नोटः– सभी दस्तावेजों पर आवेदक द्वारा अपने हस्ताक्षर कर रबर सील लगाई जाकर उन्हें आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।

4.1.4 कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :—

- आवेदक द्वारा ऑन लाइन डिजिटल हस्ताक्षर कर आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। डिजिटल हस्ताक्षर युक्त आवेदन ही मान्य किये जायेंगें। आवेदन के साथ अन्य दस्तावेज स्वंय हस्ताक्षरित कर स्केन प्रति को आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।
- डिजिटल हस्ताक्षरित आवेदन जमा होने के साथ आवेदन की ऑन लाइन ही पावती तैयार होगी। जिसकी प्रति आवेदक द्वारा प्रिंट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- आवेदन करते समय आवेदक द्वारा मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल आईडी आवश्यक रूप से दिया जावेगा।
- निर्धारित शुल्क भी ऑन लाइन के नेट बैकिंग/डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा होगा।
- आवेदन जमा होने के साथ आवेदन की ऑन लाइन ही पावती तैयार होगी। जिसकी प्रति आवेदक द्वारा प्रिंट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है तथा आवेदक के मोबाइल नंबर पर भी इसकी सूचना उन्हें एस एम एस के माध्यम से प्राप्त होगी। लायसेंस प्रदाय हेतु प्रत्येक चरण (स्टेप्स) की सूचना भी उन्हें उनके मोबाइल पर तथा उनके ई मेल एड्रेस पर प्राप्त होगी।
- ऑन लाइन माध्यम से आवेदन जमा होते ही आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी के यूजर आईडी पर प्रदर्शित होने लगेगा।

4.1.5. औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्रदाय के संबंध में निर्धारित शुल्क संबंधी लेखा शीर्ष :—

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में औषधि निर्माण हेतु लायसेंस प्रदाय संबंधी शुल्क का प्रावधान है। इस हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन के लेखा शीर्ष निम्नानुसार है :—

0210 — मेडिकल एण्ड पब्लिक हैल्थ
04 — पब्लिक हैल्थ
104 — फीस एण्ड फाइन
(5) लायसेंस फीस एण्ड फाइन
अन्डर ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट

शुल्क नेट बैंकिंग/डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा की जावेगी।

4.1.6. औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्रदाय की प्रक्रिया :—

- आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑन लाइन आवेदन मय समस्त दस्तावेजों की स्केन प्रति के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्राप्त होने पर संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा त्वरित औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति जारी करना अथवा कम पूर्ति हेतु आवेदक को सूचित करना अथवा निरस्त करना।
- अनुज्ञप्ति जारी होने की स्थिति में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा संबंधित औषधि निरीक्षक को औषधि विक्रय प्रतिष्ठान का निरीक्षण किये जाने हेतु ऑन लाइन ही अंकित किया जाना।
- संबंधित औषधि निरीक्षक द्वारा खेरची औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति जारी होने के तीन माह एवं थोक औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति जारी होने के एक माह की अवधि में औषधि विक्रय प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट अपने अभिमत सहित अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करना।
- संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर निर्णय लेकर अनुमोदित करना अथवा कमी हेतु अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना अथवा औषधि निरीक्षक की रिपोर्ट में कोई पृच्छा होने की स्थिति में पुनः निरीक्षण हेतु औषधि निरीक्षक को अंकित करना।
- अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की स्थिति मे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब ऑन लाइन ही प्रस्तुत किया जायेगा।

- अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त अनुज्ञप्ति अनुमोदित की जावेगी अथवा कमी पूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी को पुनः सूचित किया जावेगा अथवा अनुज्ञप्ति निरस्त की जावेगी।
- अनुज्ञप्ति जारी होने की स्थिति में डिजिटल हस्ताक्षर युक्त अनुज्ञप्ति आवेदक को ऑन लाइन ही आवेदक की ई मेल आई डी पर स्वतः प्रेषित होगी साथ ही इसकी सूचना आवेदक को उनके मोबाइल पर एस एम एस के माध्यम से प्रेषित होगी।

4.2 सृजन ओ.डी.एल.एस के माध्यम से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की नियमावली, 1945 के अंतर्गत पूर्व से प्रदत्त औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण का विवरण एवं प्रक्रिया

4.2.1. औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन :–

पूर्व से प्रदत्त औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन नियमानुसार ऑन लाइन जमा किया जावेगा जिसकी सुविधा एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

4.2.2. औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु पात्रता:–

औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनको प्रदत्त अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि अथवा वैधता अवधि समाप्त होने के बाद 6 माह के भीतर किया जा सकता है। औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र एवं आवश्यक शुल्क का विवरण निम्नानुसार हैः–

अ.क्र.	अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त अनुज्ञप्ति फार्म क्र.	वि `ता का प्रकार	नियमावली की अनुसूची अनुसार औषधि की श्रेणी	नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र क्र.	आवश्यक शुल्क	पात्रता हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम	विलंब शुल्क प्रति माह (वैधता दिनांक से 6 माह के भीतर)	नवीनीकृत अनुज्ञप्ति फार्म क्रमांक
1	20	खेरची	सी, सी 1 एवं एक्स के अलावा	19	1500 /–	64 एवं 65	500 /–	21 सी
2	21	खेरची	सी, सी 1 परंतु एक्स के अलावा	19	1500 /–	64 एवं 65	500 /–	21 सी
3	20 बी	थोक	सी, सी 1 एवं एक्स के अलावा	19	1500 /–	64 एवं 65	500 /–	21 सी
4	21 बी	थोक	सी, सी 1 परंतु एक्स के अलावा	19	1500 /–	64 एवं 65	500 /–	21 सी
5	20 ए	सीमित खेरची	सी, सी 1 एवं एक्स के अलावा	19 ए	500 /–	62 बी	250 /–	21 सी
6	21 ए	सीमित खेरची	सी 1 परंतु एक्स के अलावा	19 ए	500 /–	62 बी	250 /–	21 सी
7	20 एफ	खेरची	शेडयूल एक्स की दवायें	19 सी	500 /–	64 एवं 65	250 /–	21 सी
8	20 जी	थोक	शेडयूल एक्स की दवायें	19 सी	500 /–	64 एवं 65	250 /–	21 सी

एम.पी.ऑन लाइन का पोर्टल शुल्क रूपये 100 /– प्रति आवेदन होगा।

4.2.3. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :–

- दुकान का नक्शा (दो अन्य नागरिकों के प्रति हस्ताक्षर के साथ)।
- आवेदक का घोषणा पत्र।
- आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र।
- आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर (केवल जे.पी.जी अथवा जे.पी.ई.जी फार्मेट मे)।
- दुकान की फोटो (केवल जेपीजी अथवा जेपीईजी फार्मेट मे)।
- आवेदक का आवासीय प्रमाण पत्र।
- औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्रपत्र।
- औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति नवीनीकरण का प्रमाण पत्र (यदि मान्य हो तो)।
- फार्म 19 की हस्ताक्षरित स्कैन की प्रति।
- फार्मासिस्ट/सक्षम व्यक्ति का सहमति पत्र।
- फार्मासिस्ट/सक्षम व्यक्ति का पहचान प्रमाण पत्र।
- फार्मासिस्ट/सक्षम व्यक्ति का फोटो एवं हस्ताक्षर (केवल जे.पी.जी अथवा जे.पी.ई.जी फार्मेट मे)।
- फार्मासिस्ट/सक्षम व्यक्ति का आवासीय प्रमाण पत्र।

4.2.4 कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–

- आवेदक द्वारा आवेदन ऑन लाइन प्रस्तुत किया जायेगा एवं आवेदन फार्म नं 19 एवं अन्य दस्तावेज स्वंय हस्ताक्षरित कर अपलोड किया जायेगा।
- आवेदन जमा होने के साथ आवेदन की ऑन लाइन ही पावती तैयार होगी। जिसकी प्रति आवेदक द्वारा प्रिंट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- आवेदन करते समय आवेदक द्वारा मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी आवश्यक रूप से दिया जावेगा।
- नर्धारित शुल्क भी ऑन लाइन के नेट बैकिंग/डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा होगा।
- आवेदन जमा होने के साथ आवेदन की ऑन लाइन ही पावती तैयार होगी। जिसकी प्रति आवेदक द्वारा प्रिंट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है तथा आवेदक के मोबाइल नंबर पर भी इसकी सूचना उन्हें एस एम एस के माध्यम से प्राप्त होगी। लायसेंस नवीनीकरण के प्रत्येक चरण (स्टेप्स) की सूचना भी उन्हें उनके मोबाइल पर तथा उनके ई मेल एड्रेस पर प्राप्त होगी।
- ऑन लाइन माध्यम से आवेदन जमा होते ही आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी के यूजर आईडी पर प्रदर्शित होने लगेगा।

4.2.5. औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के संबंध में निर्धारित शुल्क संबंधी लेखा शीर्ष :–

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में औषधि निर्माण हेतु लायसेंस प्रदाय संबंधी शुल्क का प्रावधान है। इस हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन के लेखा शीर्ष निम्नानुसार है :–

0210 – मेडिकल एण्ड पब्लिक हैल्थ
04 – पब्लिक हैल्थ
104 – फीस एण्ड फाइन
(5) लायसेंस फीस एण्ड फाइन
अन्डर ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट

शुल्क नेट बैंकिंग/डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा की जावेगी।

4.2.6. औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति नवीनीकरण की प्रक्रिया :–

- औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन मय समस्त दस्तावेजों की स्केन प्रति के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्राप्त होने पर संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति नवीनीकृत करना अथवा कमी पूर्ति हेतु आवेदक को सूचित करना अथवा निरस्त करना।
- औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति नवीनीकृत होने की स्थिति में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा संबंधित औषधि निरीक्षक को औषधि विक्रय प्रतिष्ठान का निरीक्षण किये जाने हेतु ऑन लाइन ही अंकित किया जाना।
- संबंधित औषधि निरीक्षक द्वारा औषधि विक्रय प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट अपने अभिमत सहित अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करना।
- अनुज्ञप्ति नवीनीकृत होने की स्थिति में डिजिटल हस्ताक्षर युक्त नवीनीकृत अनुज्ञप्ति आवेदक को ऑन लाइन ही आवेदक की ई मेल आई डी पर स्वतः प्रेषित होगी साथ ही इसकी सूचना आवेदक को उनके मोबाइल पर एस एम एस के माध्यम से प्रेषित होगी।

Drugs Sale Licence Process Flow

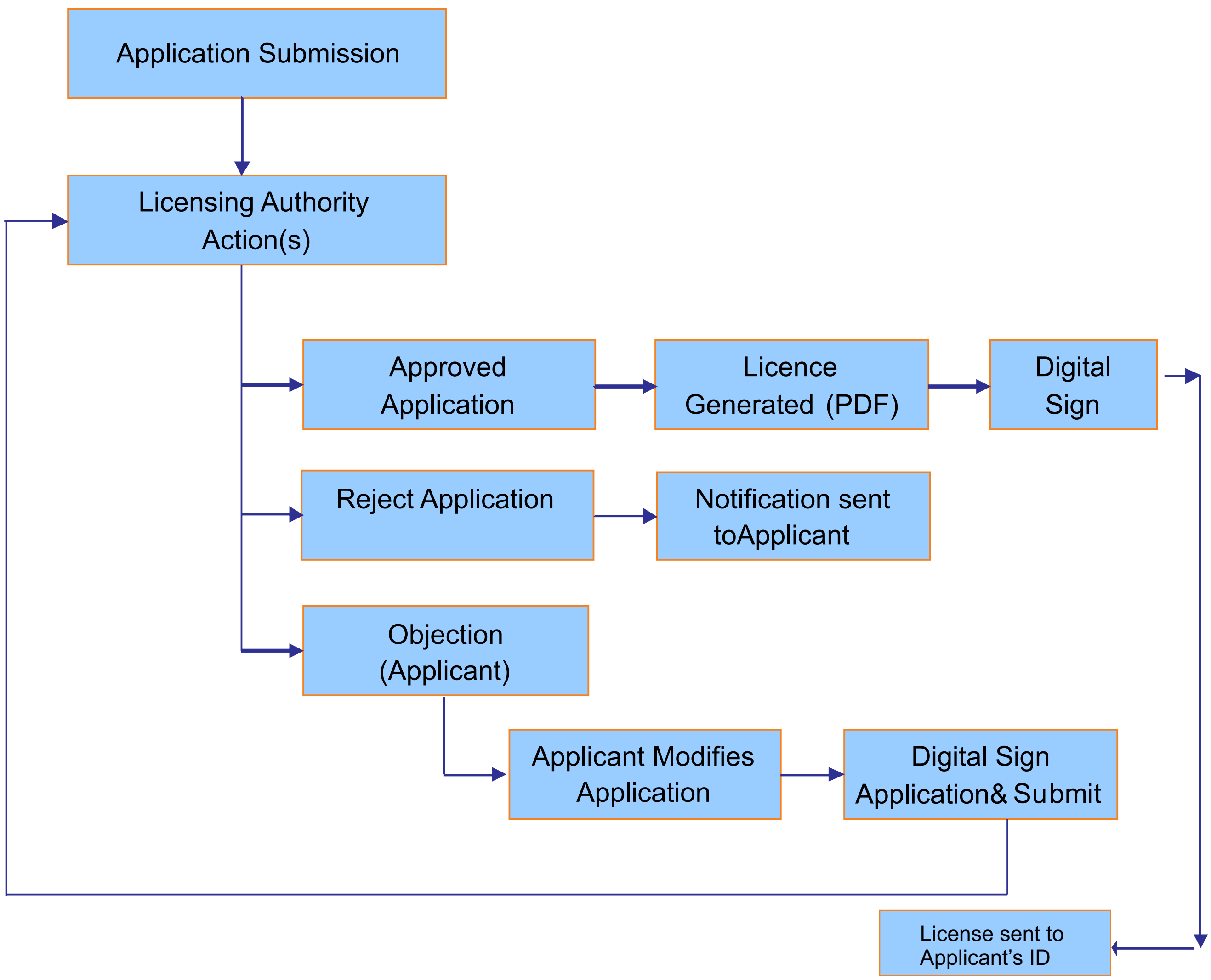

Drugs Sale Licence Process Flow (After Licence Generation)

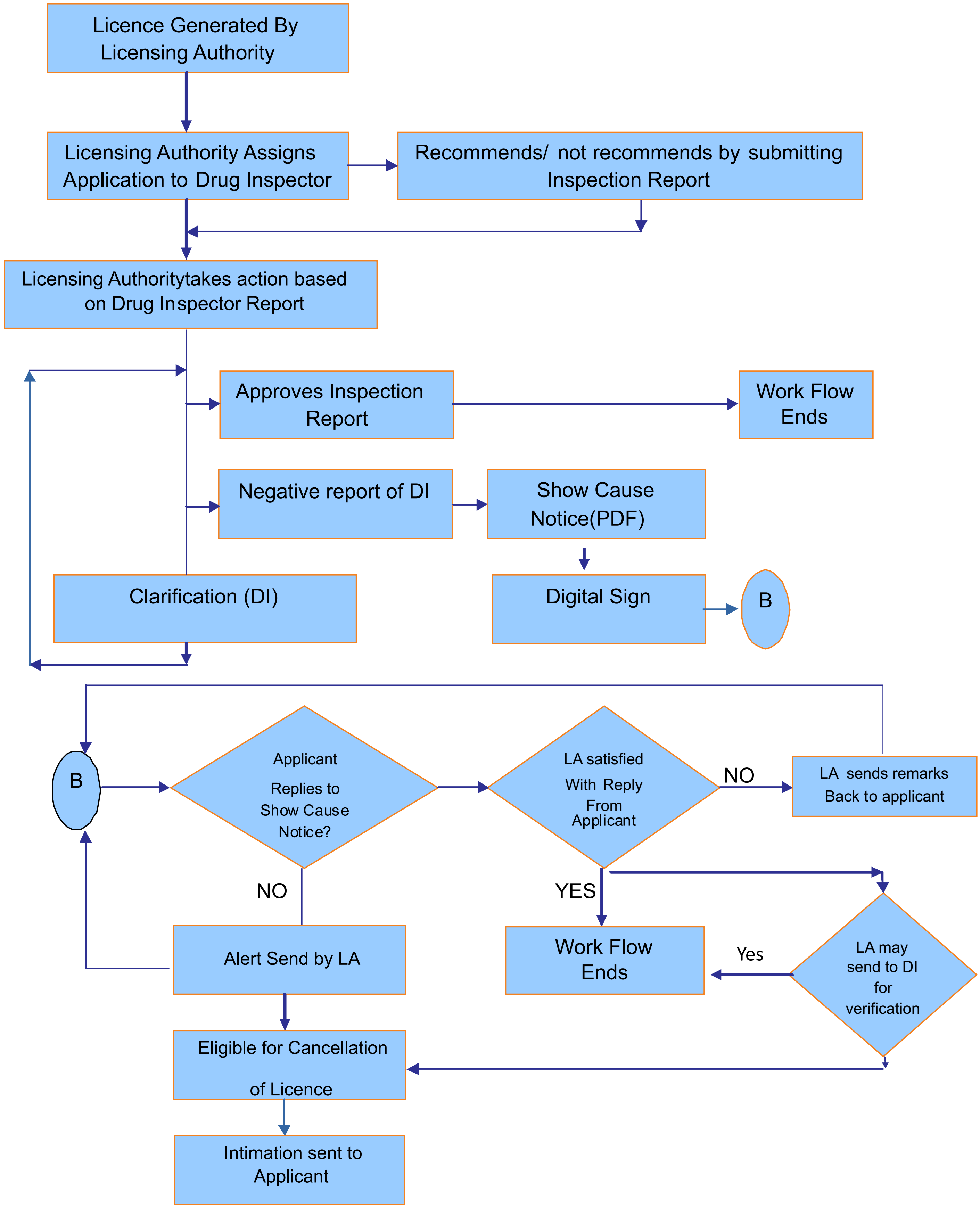

MP Online Portal पर सिस्टम का संचालन

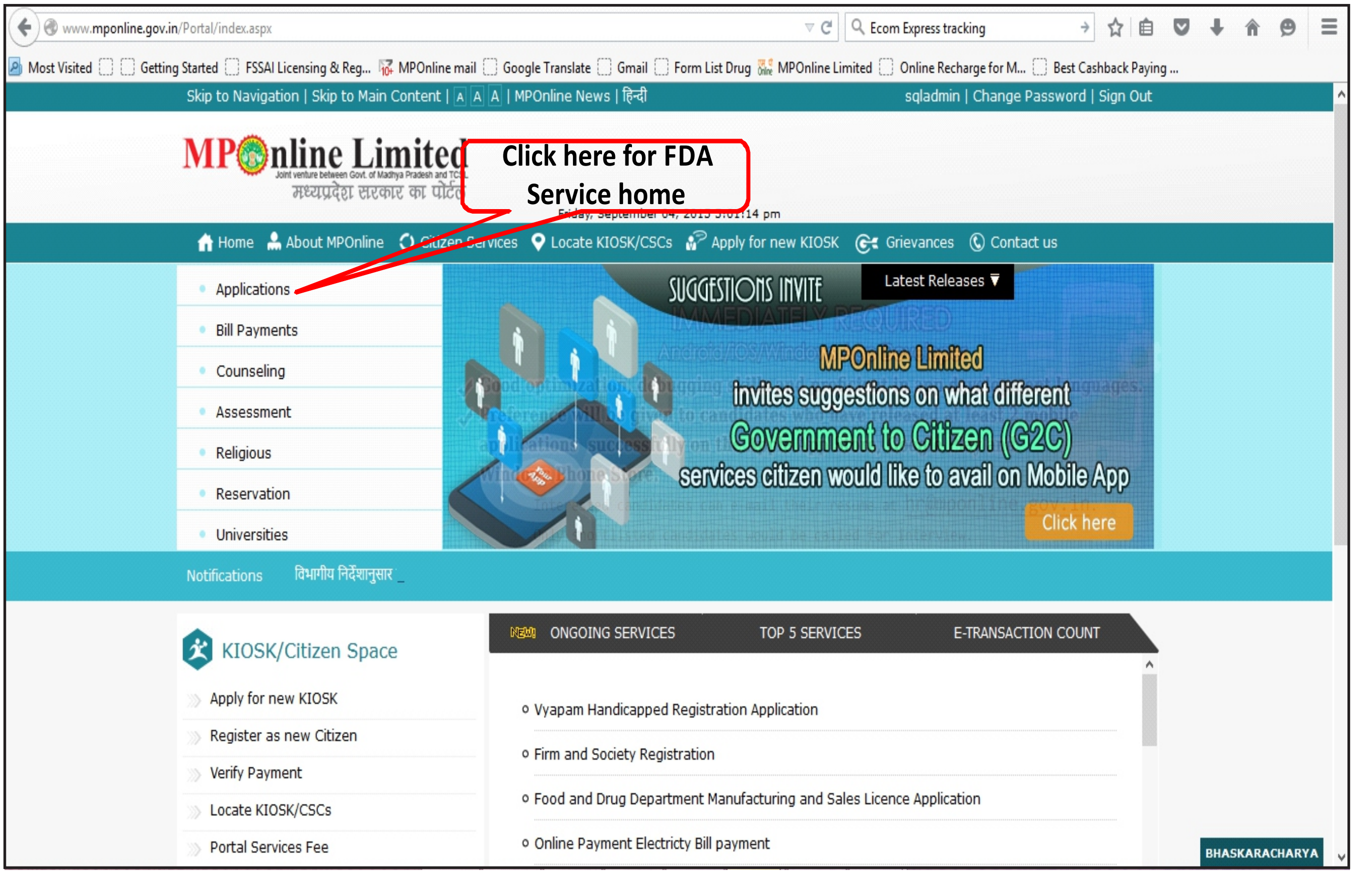

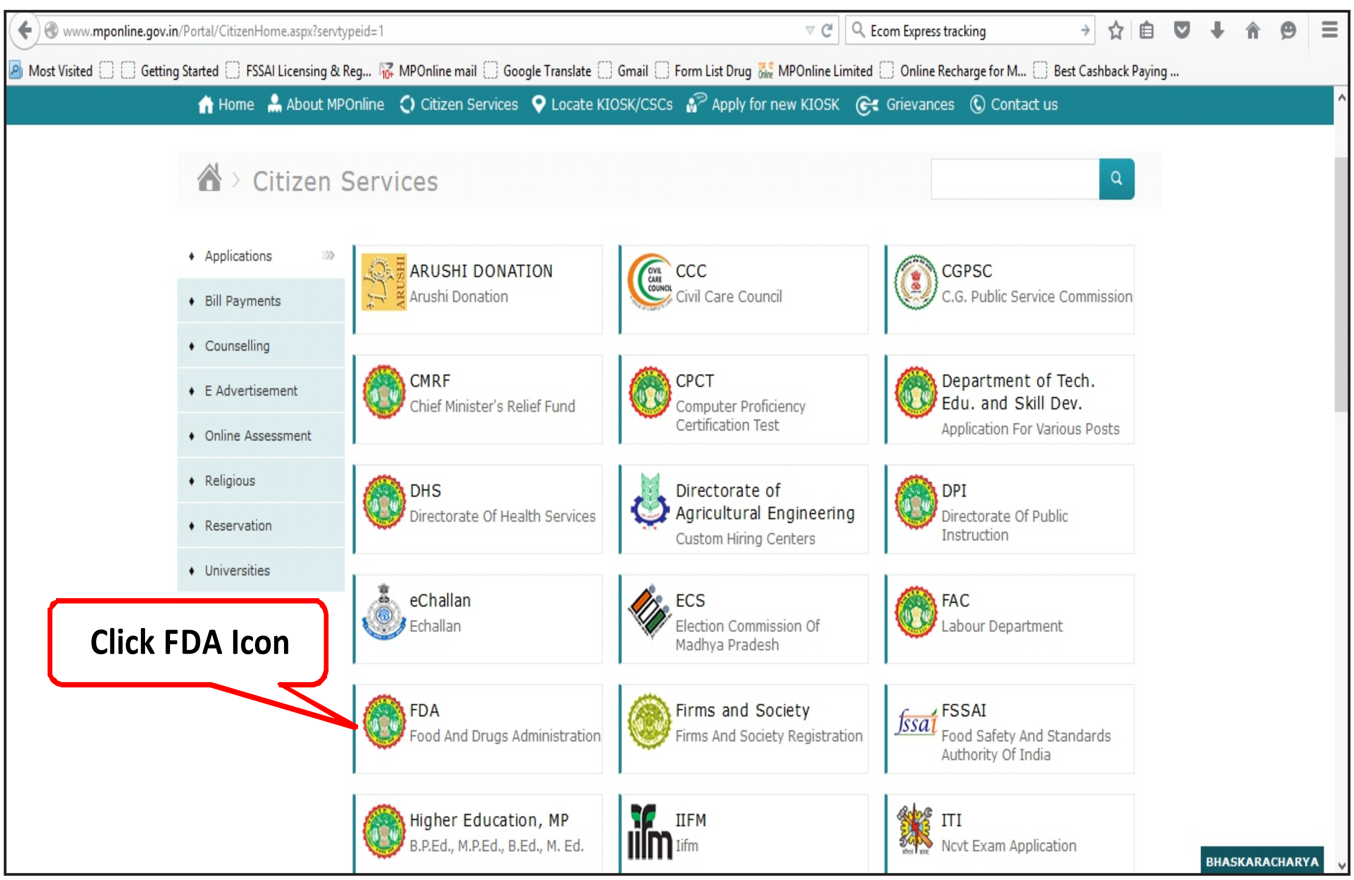

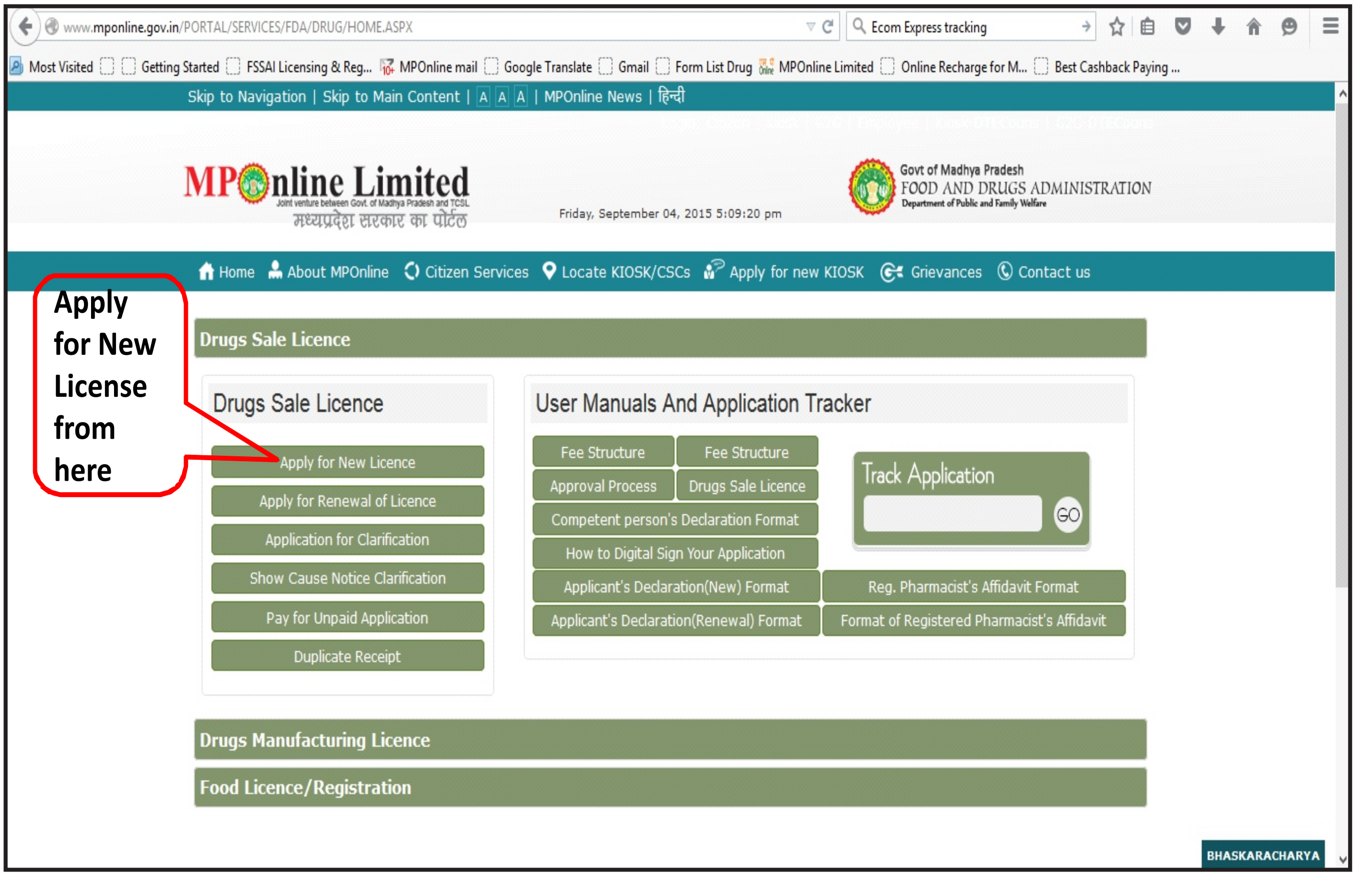

Application form

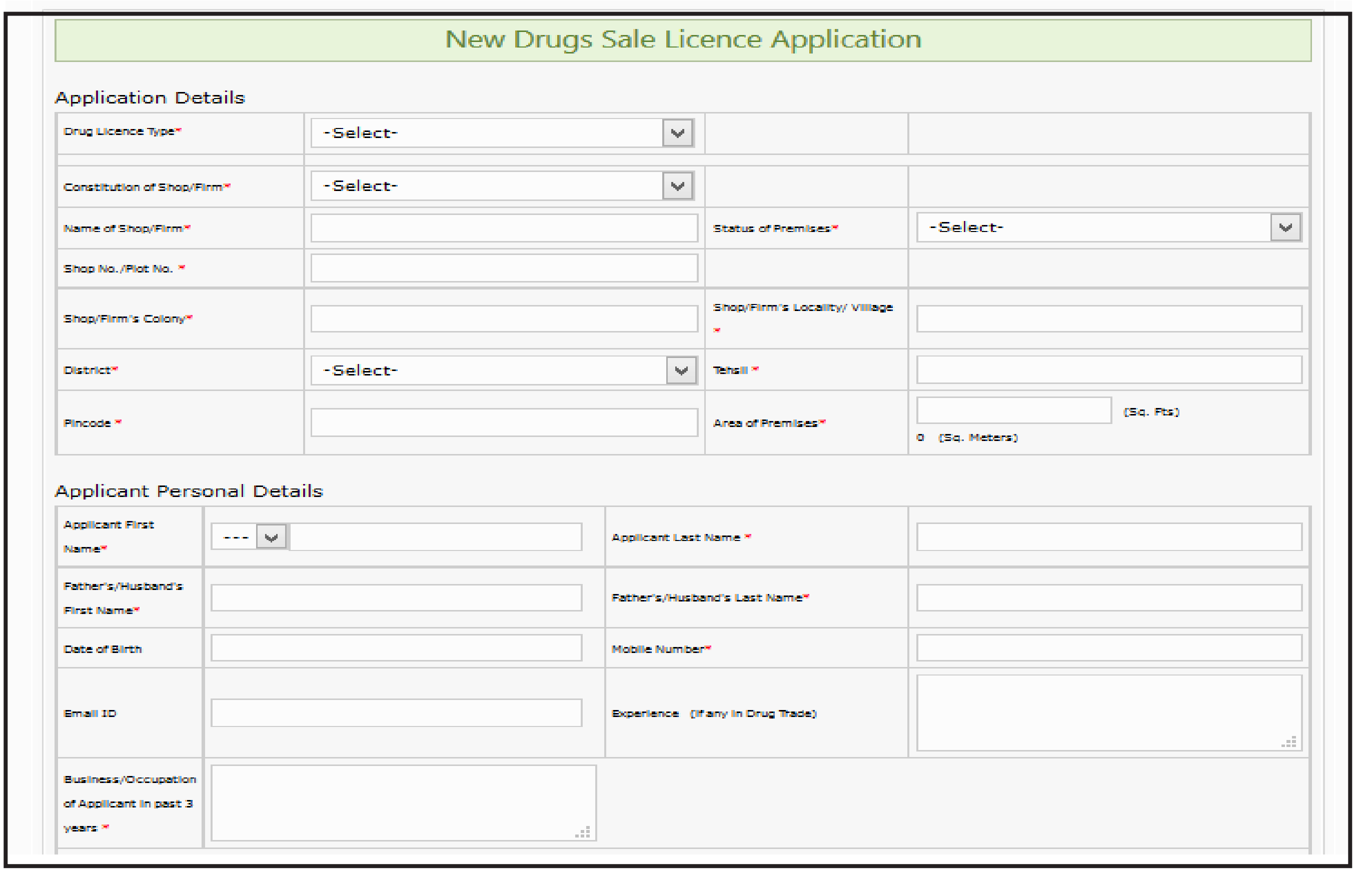

New Drugs Sale Licence Application

Application Details

Drug Licence Type*	-Select-		
Constitution of Shop/Firm*	-Select-		
Name of Shop/Firm*		Status of Premises*	-Select-
Shop No./Plot No. *			
Shop/Firm's Colony*		Shop/Firm's Locality/ Village *	
District*	-Select-	Tehsil *	
Pincode *		Area of Premises*	(Sq. Fts) 0 (Sq. Meters)

Applicant Personal Details

Applicant First Name*	---	Applicant Last Name *	
Father's/Husband's First Name*		Father's/Husband's Last Name*	
Date of Birth		Mobile Number*	
Email ID		Experience (If any in Drug Trade)	
Business/Occupation of Applicant in past 3 years *			

By clicking on "Submit" button application goes for Document upload page.

Local Address of Applicant

House No. *		Colony	
District*	-Select-	Area/ Village *	
Tehsil *		Pincode*	

☐ Are Local address and Permanent Address same?

Permanent Address of Applicant

House No. *		Colony	
District*	-Select-	Area/ Village *	
Tehsil *		Pincode*	

Applicant Qualification

Qualification	Passing Year

Declaration

☐ I hereby declare that all the details furnished in the form are valid and correct, in case any detail found to be incorrect/ invalid, I will be responsible and the Licensing Authority has the right to reject this application. I understand that In case of rejection, fee would not be refunded under any circumstances.

☐ I hereby undertake to comply with all the provisions of THE DRUGS AND COSMETICS ACT, 1940 AND RULES, 1945 as applicable to me.

Submit

Upload Required Documents

Application Number : **BPL20150900005270**

- Format Map of Premises
- Format of Applicant's Declaration
- Format of Competent person's Declaration
- Format of Registered Pharmacist's Affidavit
- Format Declaration of the person who issued the experience certificate

Upload below mentioned documents :

Note: Only .Jpeg, .Jpg and .pdf files are allowed !

Applicant Documents List :-

S.No.	List of documents	Upload
1.	Any other related document(s).	Browse... No file selected. Upload
2.	Appointment letter of Registered Pharmacist(s) (if applicant and Registered Pharmacist person are different).	Browse... No file selected. Upload
3.	Appointment letter of Competent Person(s) (if applicant and competent person are different)	Browse... No file selected. Upload
4. *	Layout of Shop/Firm premises (as per in specified format given above).	Browse... No file selected. Upload
5. *	Declaration of applicant (format available in User Manual).	Browse... No file selected. Upload
6. *	Electricity bill of Shop/Firm premises.	Browse... No file selected. Upload
7. *	Identity proofs (specified in the application).	Browse... No file selected. Upload
8. *	Photograph and signature of applicant (only in .JPG or .JPEG format).	Browse... No file selected. Upload
9. *	Photograph of Shop/Firm with furniture (only in .JPG or .JPEG format).	Browse... No file selected. Upload
10. *	Proof of Ownership/Rent Agreement with actual land owner.	Browse... No file selected. Upload
11.	Purchase bill of refrigerator (if applicable).	Browse... No file selected. Upload
12.	Qualification Mark Sheet (SSC, HSC & Graduation) if available.	Browse... No file selected. Upload
13. *	Residential Proof.	Browse... No file selected. Upload
14. *	Shop/Firm constitutional related documents (like in case of Firm partners it's deed, in case of private Limited/ Limited list of Directors, Firm MOA and COI etc.).	Browse... No file selected. Upload
15. *	Identity Proof of Recorgnized Person 1 (Mentioned in Layout of Shop/Firm premises).	Browse... No file selected. Upload
16. *	Identity Proof of Recorgnized Person 2 (Mentioned in Layout of Shop/Firm premises).	Browse... No file selected. Upload

Required documents for Registered Pharmacist/Competent Person

Registered Pharmicist/Competent Person Documents List :-

S.No.	List of documents	Upload	
1. *	Declaration of Competent Person(s) (format available in User Manual).	Browse... No file selected.	Upload
2. *	Affidavit of Registered Pharmacist(s) (format available in User Manual).	Browse... No file selected.	Upload
3.	Consent letter of Competent Person(s).	Browse... No file selected.	Upload
4.	Consent letter of Registered Pharmacist(s).	Browse... No file selected.	Upload
5. *	Drugs Sale Licence copy along with an declaration of the person who issued the experience certificate (format available in User Manual).	Browse... No file selected.	Upload
6. *	Experience certificate of Competent Person (minimum 4 years experience with matriculation or 1 year experience with graduation).	Browse... No file selected.	Upload
7. *	Identity proofs (specified in the application).	Browse... No file selected.	Upload
8. *	Pharmacist Registration Certificate both sides (if applicable).	Browse... No file selected.	Upload
9. *	Photograph and signature of Competent (only in .JPG or .JPEG format).	Browse... No file selected.	Upload
10. *	Photograph and signature of Registered Pharmacist(s) (only in .JPG or .JPEG format).	Browse... No file selected.	Upload
11.	Qualification Mark Sheet (SSC, HSC & Diploma or Graduation) as applicable.	Browse... No file selected.	Upload
12. *	Qualification Mark Sheet of Registered Pharmacist (SSC, HSC & Diploma or Graduation).	Browse... No file selected.	Upload
13. *	Residential Proof.	Browse... No file selected.	Upload

Submit

Application Form for Digital Signature

Application Number : **BPL20150900005270**

Form 19
[see rule 59(2)]

Application for grant or renewal of a licence to sell, stock, exhibit or offer for sale or distribution of drugs other than those specified in Schedule X

1. I/We * RAJESH KUMAR S/W/D/O SOMESH KUMAR
of * * SAI MEDICO

hereby apply for licence to sell by *** wholesale/retail drugs specified in Schedules C and C(1) excluding those specified in Schedule X and/or drugs other than those specified in Schedules C, C(1) and X to the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 and ~~also to operate a pharmacy~~ on the premises situated at :

Shop No/Plot No.: 4, Arera colony ,Bhopal , Tehsil: Huzur , District: BHOPAL , Pincode: 462001

2. The sale and dispensing of drugs will be made under the personal supervision of the qualified pharmacist and/or competent person(s) namely :

(Name) MR. AKHLISH S/O MK GUPTA (Qualification) B.PHARM, REG:12345, VALID UPTO:01/12/2015

3. Categories of drugs to be sold :

Licence to sell, stock or exibit [or offer] for sale, or distribute drugs by retail other than those specified in [Schedules C,C(1) and X]
Licence to sell, stock or exibit [or offer] for sale, or distribute by wholesale, drugs other than those specified in [Schedules C,C(1) and X]
Licence to sell, stock or exibit [or offer] for sale, or distribute drugs by retail drugs specified in Schedules C & C(1) [excluding those specified in Sch. X]
Licence to sell, stock or exibit [or offer] for sale, or distribute by wholesale drugs specified in Sch. C & C(1) [excluding those specified in Sch. X]

4. * * * * Particulars for special storage accommodation.

A fee of rupees **Rs. 6000/-** has been credited to Government under the head of account 0210 Medical and Public Health, 04 Public Health, 104 Fees and fines, (5) Lic Fees under Drugs and Cosmetics Rules.

Date 04/09/2015 Signature

** Please mention full name of applicant (including father's/husband's name), Residential Address and Telephone no. if any along with the name of the shop/firm company.*
***Please mention the name of shop.*
**** Delete whichever is not applicable.*
*****Required only if products requiring special storage are to be sold.*

Click for Digital Sign

Digital Signature

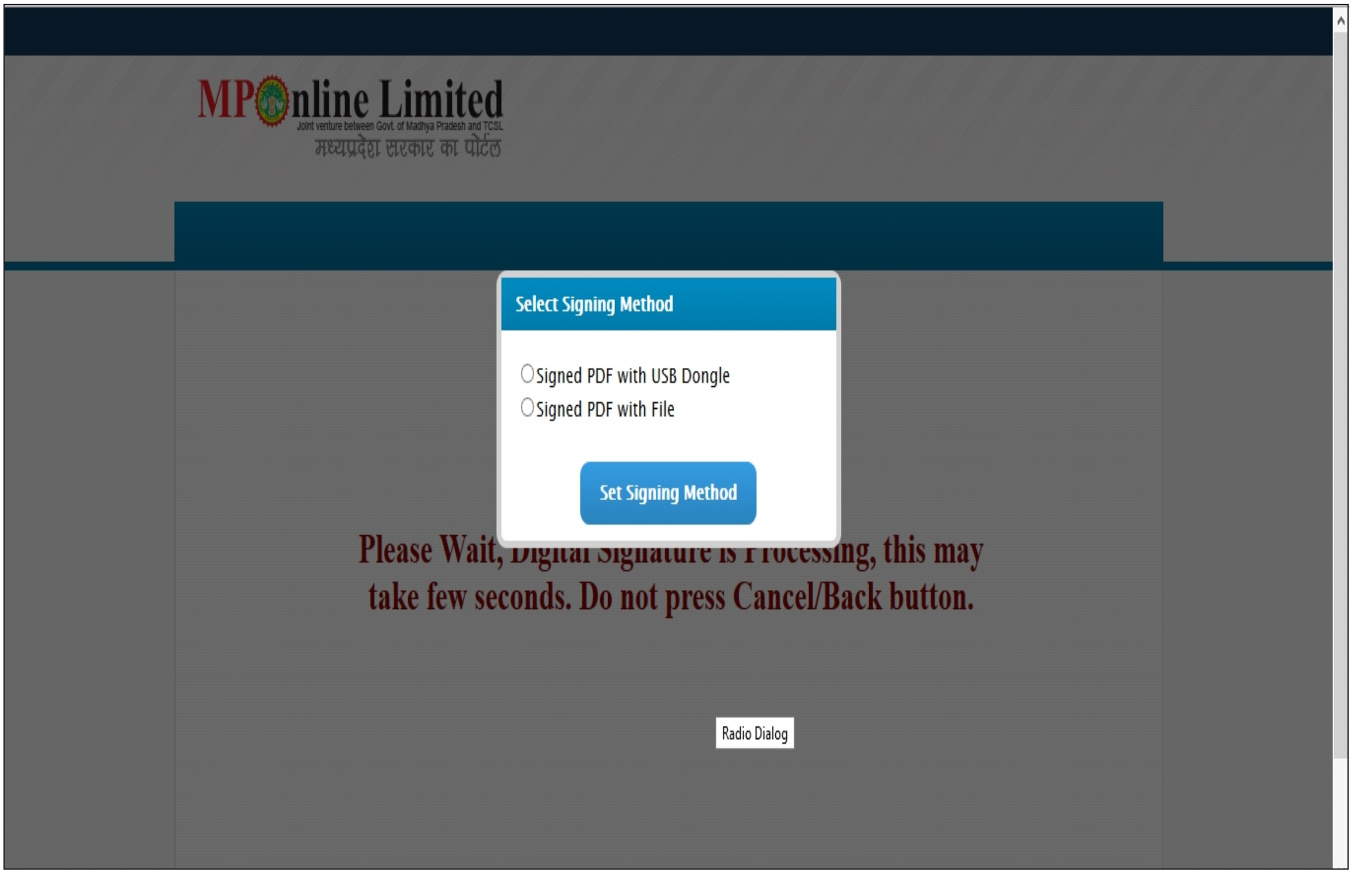

Digital Signed Application Form

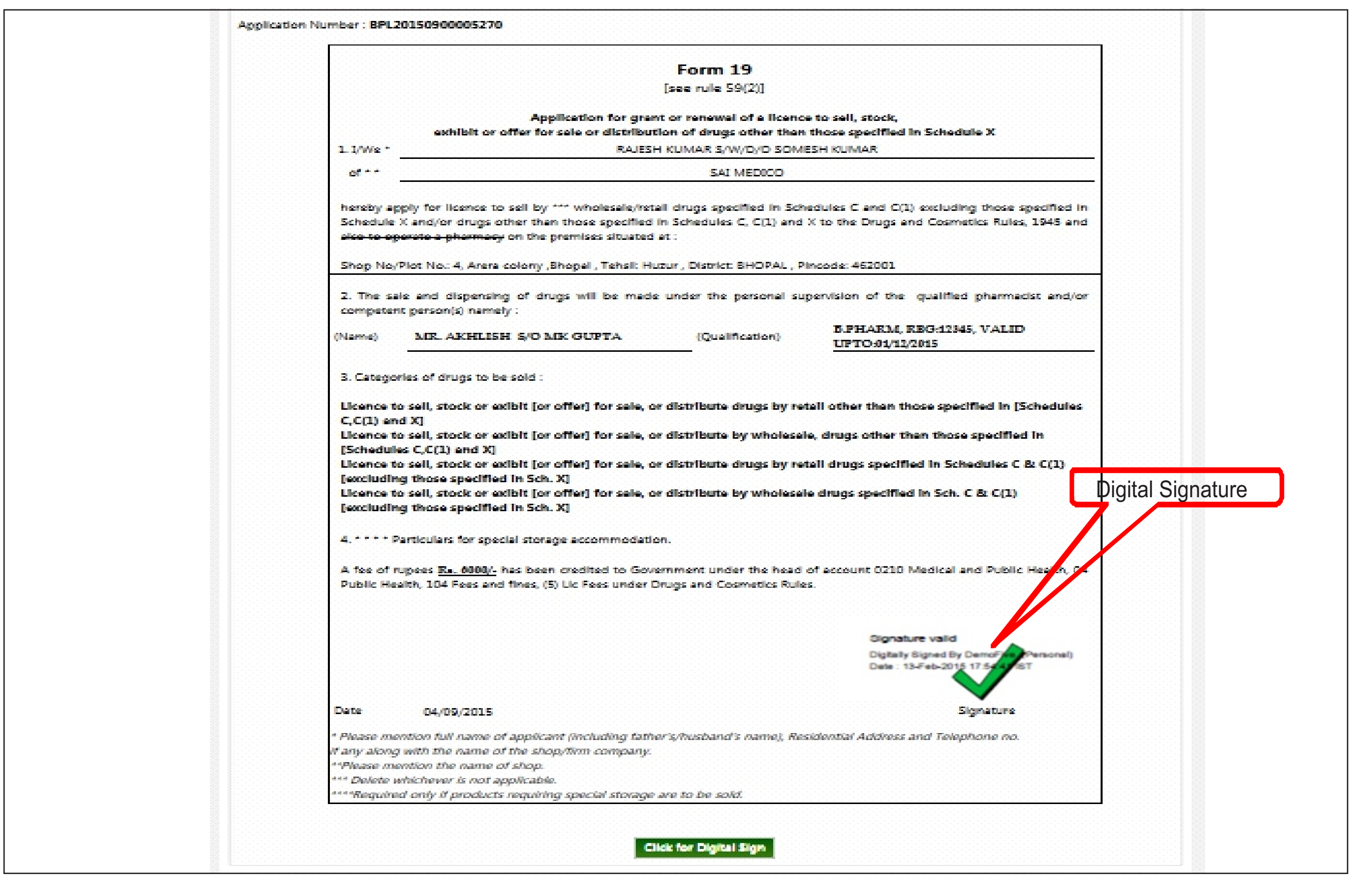

Application Number : **BPL20150900005270**

Form 19
[see rule 59(2)]

Application for grant or renewal of a licence to sell, stock, exhibit or offer for sale or distribution of drugs other than those specified in Schedule X

1. I/We * RAJESH KUMAR S/W/D/O SOMESH KUMAR

of * * SAI MEDICO

hereby apply for licence to sell by *** wholesale/retail drugs specified in Schedules C and C(1) excluding those specified in Schedule X and/or drugs other than those specified in Schedules C, C(1) and X to the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 and ~~also to operate a pharmacy~~ on the premises situated at :

Shop No/Plot No.: 4, Arera colony ,Bhopal , Tehsil: Huzur , District: BHOPAL , Pincode: 462001

2. The sale and dispensing of drugs will be made under the personal supervision of the qualified pharmacist and/or competent person(s) namely :

(Name) MR. AKHLISH S/O MK GUPTA (Qualification) B.PHARM, REG:12345, VALID UPTO:01/12/2015

3. Categories of drugs to be sold :

Licence to sell, stock or exibit [or offer] for sale, or distribute drugs by retail other than those specified in [Schedules C,C(1) and X]
Licence to sell, stock or exibit [or offer] for sale, or distribute by wholesale, drugs other than those specified in [Schedules C,C(1) and X]
Licence to sell, stock or exibit [or offer] for sale, or distribute drugs by retail drugs specified in Schedules C & C(1) [excluding those specified in Sch. X]
Licence to sell, stock or exibit [or offer] for sale, or distribute by wholesale drugs specified in Sch. C & C(1) [excluding those specified in Sch. X]

4. * * * * Particulars for special storage accommodation.

A fee of rupees Rs. 6000/- has been credited to Government under the head of account 0210 Medical and Public Health, 04 Public Health, 104 Fees and fines, (5) Lic Fees under Drugs and Cosmetics Rules.

Signature valid
Digitally Signed By DemoF... (Personal)
Date : 13-Feb-2015 17:54:... IST

Date 04/09/2015 Signature

Please mention full name of applicant (including father's/husband's name), Residential Address and Telephone no. if any along with the name of the shop/firm company.
***Please mention the name of shop.*
**** Delete whichever is not applicable.*
*****Required only if products requiring special storage are to be sold.*

Click for Digital Sign

Digital Signature

Online Payment Process

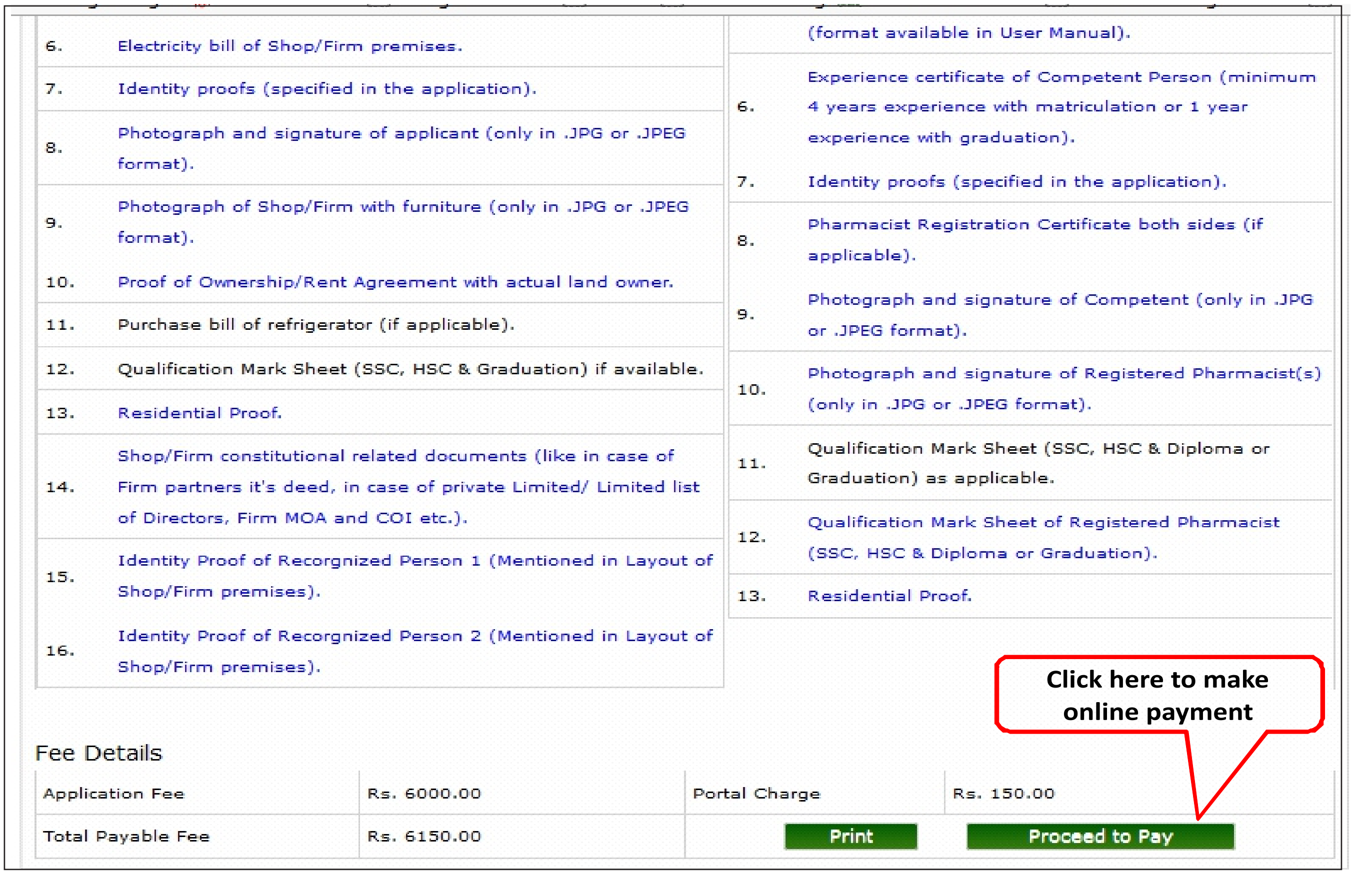

6.	Electricity bill of Shop/Firm premises.
7.	Identity proofs (specified in the application).
8.	Photograph and signature of applicant (only in .JPG or .JPEG format).
9.	Photograph of Shop/Firm with furniture (only in .JPG or .JPEG format).
10.	Proof of Ownership/Rent Agreement with actual land owner.
11.	Purchase bill of refrigerator (if applicable).
12.	Qualification Mark Sheet (SSC, HSC & Graduation) if available.
13.	Residential Proof.
14.	Shop/Firm constitutional related documents (like in case of Firm partners it's deed, in case of private Limited/ Limited list of Directors, Firm MOA and COI etc.).
15.	Identity Proof of Recorgnized Person 1 (Mentioned in Layout of Shop/Firm premises).
16.	Identity Proof of Recorgnized Person 2 (Mentioned in Layout of Shop/Firm premises).

	(format available in User Manual).
6.	Experience certificate of Competent Person (minimum 4 years experience with matriculation or 1 year experience with graduation).
7.	Identity proofs (specified in the application).
8.	Pharmacist Registration Certificate both sides (if applicable).
9.	Photograph and signature of Competent (only in .JPG or .JPEG format).
10.	Photograph and signature of Registered Pharmacist(s) (only in .JPG or .JPEG format).
11.	Qualification Mark Sheet (SSC, HSC & Diploma or Graduation) as applicable.
12.	Qualification Mark Sheet of Registered Pharmacist (SSC, HSC & Diploma or Graduation).
13.	Residential Proof.

Click here to make online payment

Fee Details

Application Fee	Rs. 6000.00	Portal Charge	Rs. 150.00
Total Payable Fee	Rs. 6150.00	Print	Proceed to Pay

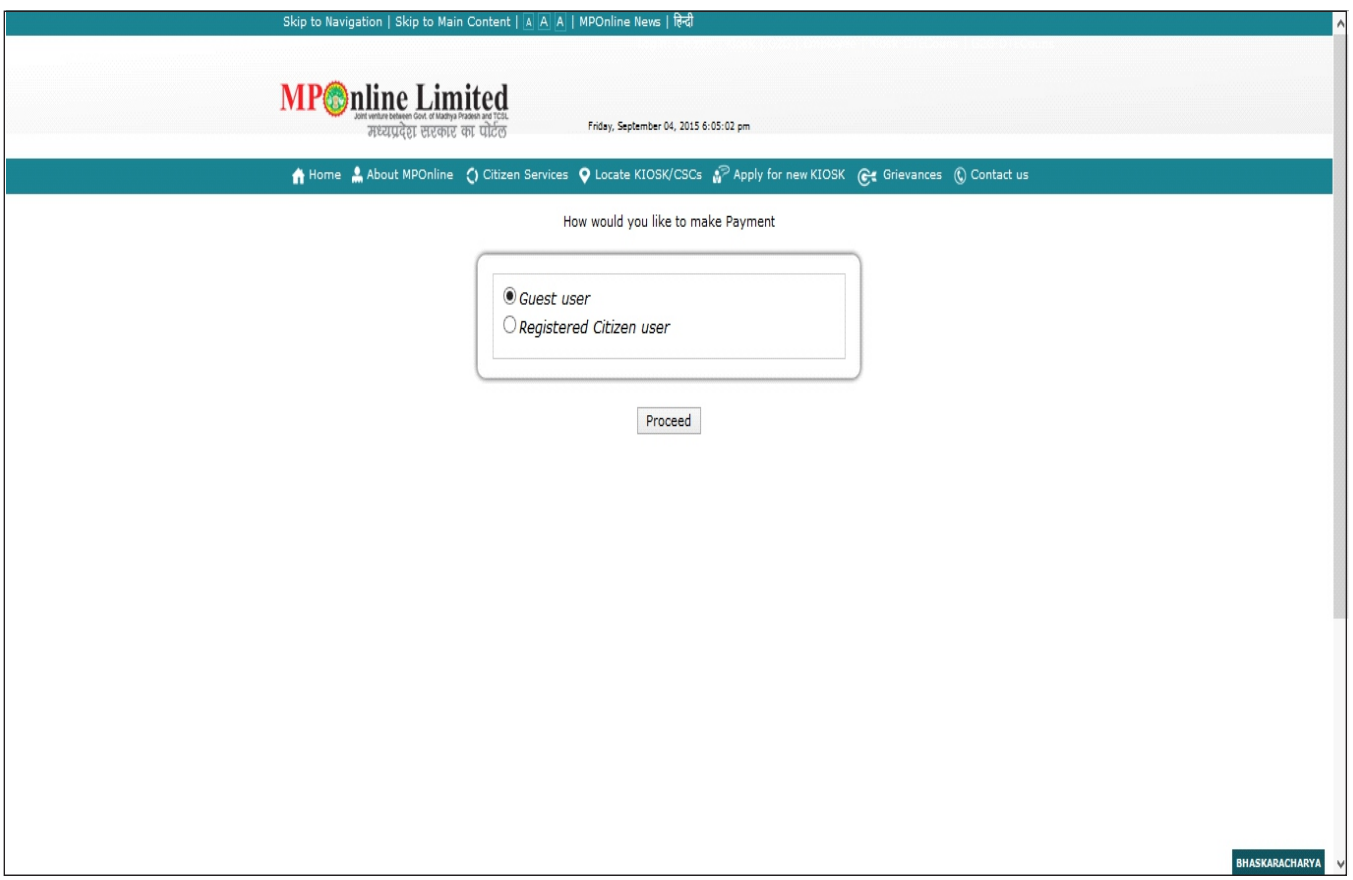

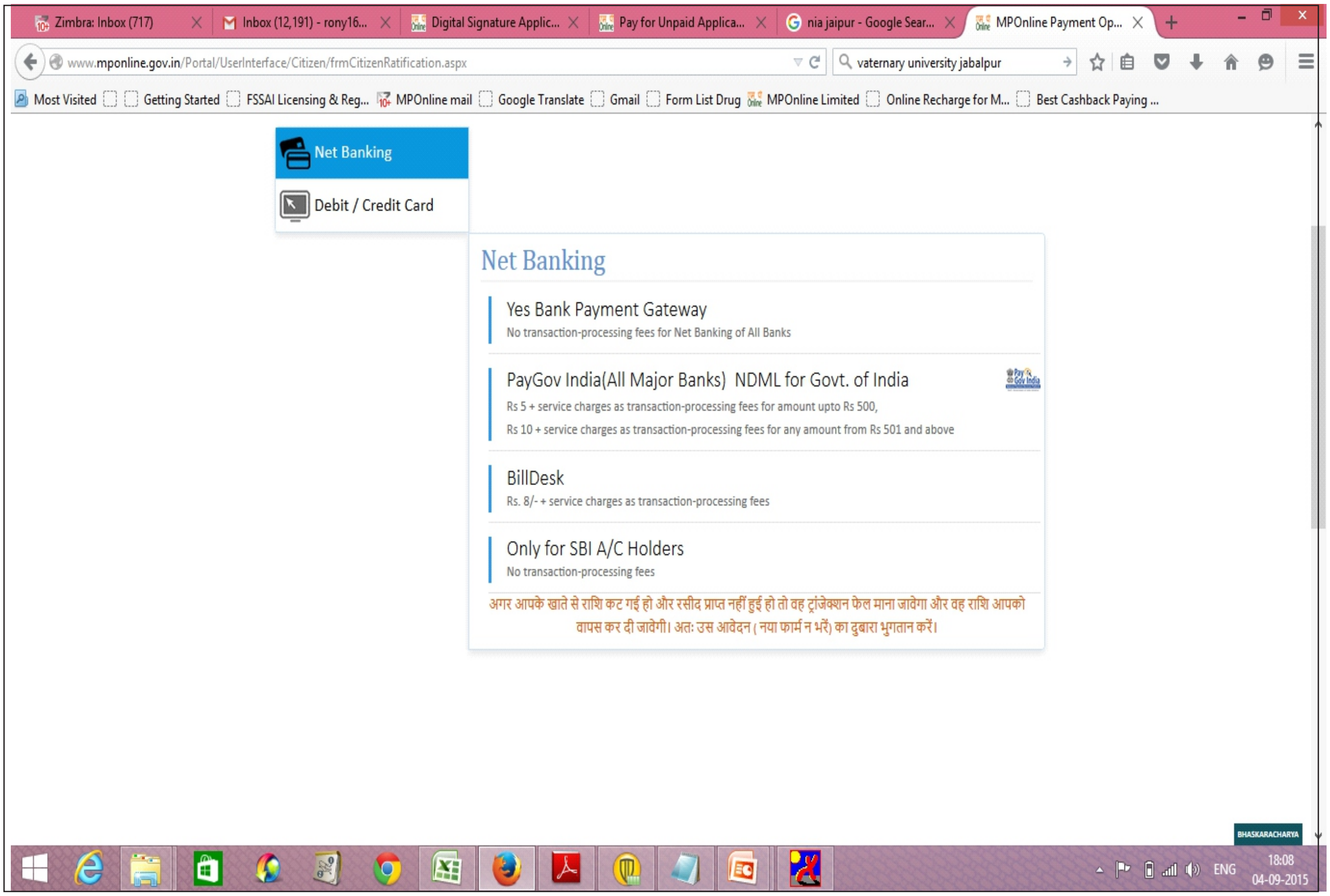
www.mponline.gov.in/Portal/UserInterface/Citizen/frmCitizenRatification.aspx
Net Banking
Debit / Credit Card
Net Banking
Yes Bank Payment Gateway
No transaction-processing fees for Net Banking of All Banks
PayGov India(All Major Banks) NDML for Govt. of India
Rs 5 + service charges as transaction-processing fees for amount upto Rs 500,
Rs 10 + service charges as transaction-processing fees for any amount from Rs 501 and above
BillDesk
Rs. 8/- + service charges as transaction-processing fees
Only for SBI A/C Holders
No transaction-processing fees
अगर आपके खाते से राशि कट गई हो और रसीद प्राप्त नहीं हुई हो तो वह ट्रांजेक्शन फेल माना जावेगा और वह राशि आपको वापस कर दी जावेगी। अतः उस आवेदन (नया फार्म न भरें) का दुबारा भुगतान करें।

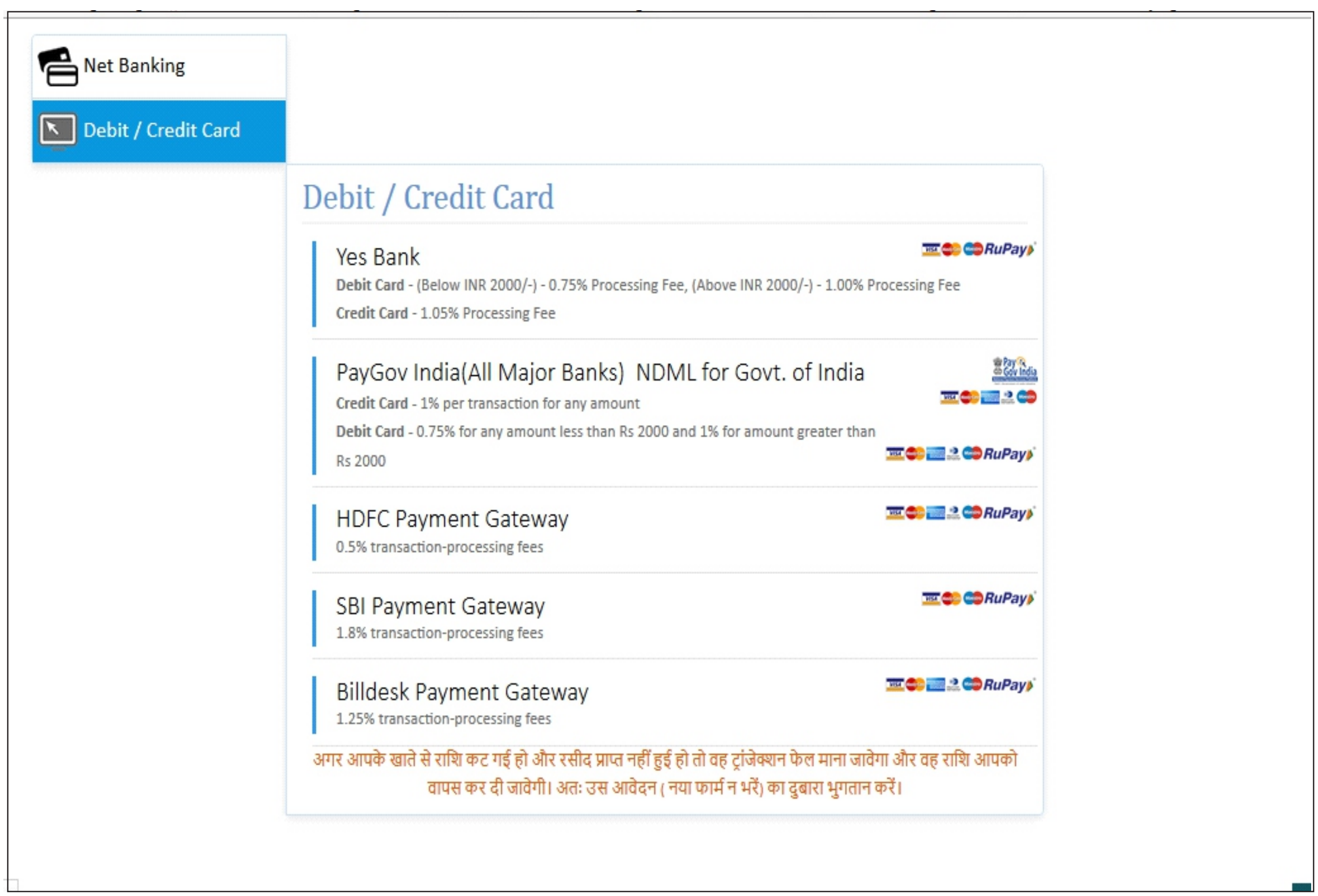
Net Banking
Debit / Credit Card
Debit / Credit Card
Yes Bank
Debit Card - (Below INR 2000/-) - 0.75% Processing Fee, (Above INR 2000/-) - 1.00% Processing Fee
Credit Card - 1.05% Processing Fee
PayGov India(All Major Banks) NDML for Govt. of India
Credit Card - 1% per transaction for any amount
Debit Card - 0.75% for any amount less than Rs 2000 and 1% for amount greater than Rs 2000
HDFC Payment Gateway
0.5% transaction-processing fees
SBI Payment Gateway
1.8% transaction-processing fees
Billdesk Payment Gateway
1.25% transaction-processing fees
अगर आपके खाते से राशि कट गई हो और रसीद प्राप्त नहीं हुई हो तो वह ट्रांजेक्शन फेल माना जावेगा और वह राशि आपको वापस कर दी जावेगी। अतः उस आवेदन (नया फार्म न भरें) का दुबारा भुगतान करें।

Payment Acknowledgment Receipt

Government of Madhya Pradesh
Food and Drugs Administration
Department of Public Health & Family Welfare

MPOnline Limited
Joint venture between Govt. of Madhya Pradesh and TCSL
मध्यप्रदेश सरकार का पोर्टल

Online Drug Licence Application Form & Payment Acknowledgement Receipt

Printed on : 04-Sep-2015, 18:11 PM

Transaction Details

Transaction Id :	15090444967962870429	Application Fee :	6000.00
Service Name :	Food & Drugs Administration	Portal Charge :	150.00
Payment Mode :	Cash Payment By Test	Total Paid Amount :	6150.00
Payment Status :	Paid	Paid at MPOnline KIOSK Id : K0799990054	

Applicant Details

Application Number	BPL20150900005270		
Application Type	New Drug License Application	Licence Category	Retail and Whole Sales Drug Licence
Applicant Name	Mr. Rajesh Kumar	Date of Birth	01-Sep-1982
Local Address	12 Bhopal ,Tehsil- Bhopal, Pincode: 462001, District: BHOPAL, Mobile: 9898989899,		

Proprietorship Details

Constitution of Shop/Firm	Proprietor	Status of Premises	Self Owned
Name of Shop/Firm	Sai Medico		
Address of Shop/Firm	4 Arera colony Bhopal ,Tehsil- Huzur, District: BHOPAL		
Area of Premises	46.45 (Sq. Meters)		

Download Digital Application Form

G2G Home Page

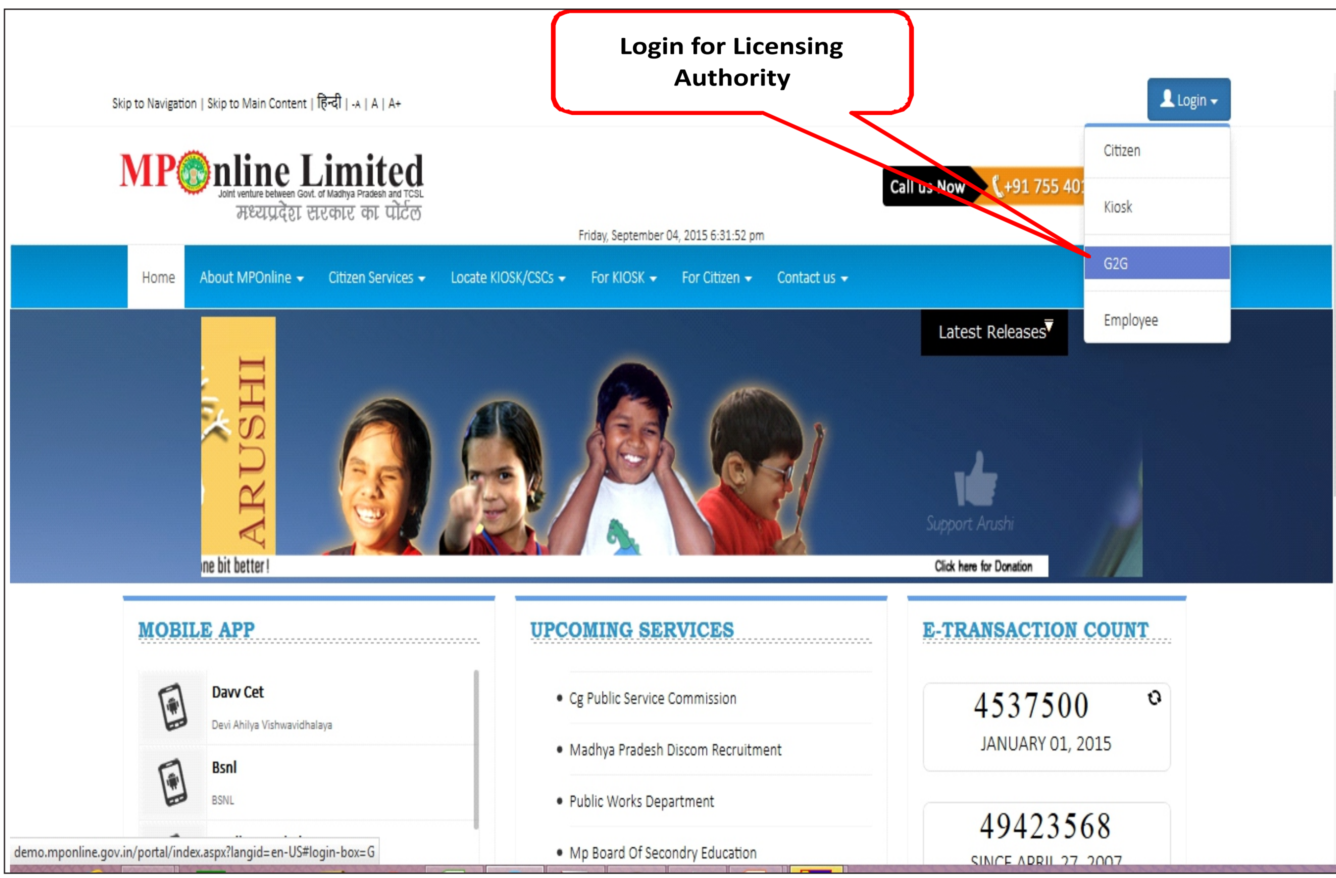

Licensing Authority's home page

Logged in as Shobhit (Drug Licensing Authority) BHOPAL

- Home
- Application Dashboard
- Online License Register
- Re-Print Licence
- Application Status Count
- Expiry Licence Report
- Change LA Mapping
- Change DI Mapping
- Application Tracker

Summary

Application(s) Before Licence Generation

- Clarification Submitted by Applicant (0)
- Application(s) pending for Licensing Authority Approval (11)
- Application(s) pending for Drug Licence Generation (0)
- Application(s) pending for Digital Signature (0)
- Application(s) pending to Applicant for Clarification & Correction (0)

Application(s) After Licence Generation

- Application(s) pending for Drug Inspector Assignment (0)
- Application(s) Inspection Report Submitted by Drug Inspector (0)
- Application(s) pending to Generate Show Cause Notice (0)
- Application(s) pending to Digital signature for Show Cause notice (0)
- Show Cause Notice submitted by Applicant (0)
- Application(s) pending to Alert or Cancellation of Applicant Licence (0)

Licensing Authority reviews the application and takes necessary action on it.

13.	Schedule X drugs storage facility provided with lock and key.
14.	Shop/Firm constitutional related documents (like in case of Firm partners it's deed, in case of private Limited/ Limited list of Directors, Firm MOA and COI etc.).
15.	Identity Proof of Recorgnized Person 1 (Mentioned in Layout of Shop/Firm premises).
16.	Identity Proof of Recorgnized Person 2 (Mentioned in Layout of Shop/Firm premises).

Licensing Authority Recommendations:

Please Select District Zone :	--Select--
Licensing Authourity Recommendation :	○ Approve ○ Send Back to Applicant for Correction ○ Reject
Remark :	

Preview Licence Before Approve | Submit

Sample Digitally Signed License

Form 20
[See rule 61(1)]

Regd. No. 2015
Page No. 29

Licence to sell, stock or exhibit or offer for sale, or distribute drugs by retail other than those specified in [Schedules C, C(1) and X]

PRADHI MEDICAL STORE

Partners : Nitesh Patel S/W/D/O Shri G L Patel
Mithlesh Choudhary S/W/D/O Shri L R Choudhary

....is hereby licensed to sell, stock or exhibit or offer for sale, or distribute by retail drugs other than those specified in [Schedules C, C (1) and X] of the Drugs and Cosmetics Rules 1945, * ~~and to operate a pharmacy~~ on the premises situated at ....**Shop No/Plot No.:Shop No 03 Jyoti Complex 399,Near Gurudwara,Raisen Road Anand Nagar,Tehsil: Huzur,District:Bhopal,Pincode: 462022**

Subject to the conditions specified below and to provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the Rules thereunder.

2. This Licence shall be in force from : **26-08-2015** to **25-08-2020**

3. Name(s) of qualified person(s) in charge :

Surendra Gour S/W/D/o Shankar Lal Gour Qualification D.PHARM Regd. No. 36252 dt. 22-01-2013 valid up to 31-12-2017

4. Categories of drugs : Licence to sell, stock or exibit [or offer] for sale, or distribute drugs by retail other than those specified in [Schedules C,C(1) and X]

Photograph

Pharmacist's Photograph

Digitally Signed By A[illegible]A VIVEK KAUSHAL (FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION)
Date : 26-Aug-2015 [illegible] IST

Date : 26-08-2015 **Licence No : 20/104/28/2015** **Licensing Authority BHOPAL (M.P.)**

Note : This is a Digitally Signed document

Conditions of Licence

1. This licence shall be displayed in a prominent place in a part of the premises open to the public.
2. The licensee shall comply with provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the Rules thereunder for the time being in force.
3. The licensee shall report to the Licensing Authority any change in the qualified staff in charge within one month of such change.
4. No drug shall be sold unless such drug is purchased under a cash or credit memo from a duly licensed dealer or a duly licensed manufacturer.
5. The Licensee shall inform the Licensing Authority in writing in the event of any change in the constitution of the firm operation under the licence. Where any change in the constitution of the firm takes place, the current licence shall, deemed to be valid for a maximum period of three months from the date on which the change takes place unless, in the meantime, a fresh license has been taken from the Licensing Authority in the name of the firm with changed constitution.

4.3 सृजन ओ.डी.एल.एस के माध्यम से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की नियमावली, 1945 के अंतर्गत पूर्व से प्रदत्त औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों में अतिरिक्त योगों के समायोजन का विवरण एव प्रक्रिया :—

4.3.1 औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों में अतिरिक्त योगों के समायोजन हेतु आवेदन :—

औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों में अतिरिक्त औषधियों के योगो की अनुमति हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में कोई पृथक से आवेदन का प्रारूप नहीं है आवेदन नियमानुसार ऑन लाइन जमा किया जावेगा एवं यह सुविधा एम.पी.ऑन लाइन के पोर्टलwww.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

4.3.2 औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों में अतिरिक्त योगों के समायोजन की पात्रता :—

पूर्व से प्रदत्त स्वीकृत औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों में औषधियों के योगो की अनुमति हेतु पात्रता औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में प्रावधानित है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची अनुसार समस्त श्रेणियों के अतिरिक्त योगों के समायोजन की फीस का विवरण निम्नानुसार हैं:—

अ.क्र.	अनुज्ञप्ति धारी को प्रदत्त अनुज्ञप्ति निर्माण अनुज्ञप्ति फार्म क्र.	पूर्व से प्रदत्त अतिरिक्त योगों के समायोजन हेतु आवश्यक शुल्क	पात्रता हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम
1	25	300/—	69
2	25 ए	300/—	69 ए
3	25 एफ	300/—	69
4	28	300/—	75
5	28 ए	300/—	75ए
6	28 बी	300/—	75
7	28 डी	300/—	75
8	28डीए	300/—	75 ए
9	25बी	100/—	69

4-3-1 vkonu d lkFk lyXu fd; tku oky nLrkot dh lph%&

1. आवेदित आयटम का फार्माकोपियल मोनोग्राफ
2. आवेदित आयटम का मेथड ऑफ एनालिसिस
3. आवेदित आयटम का मास्टर मेन्युफेक्चरिंग फार्मूला
4. आवेदित आयटम का स्टेबिलिटी डाटा
5. आवेदित आयटम के अन्य दस्तावेज जैसे कि :—
   - जिस श्रेणी की औषधियों के अनुमति हेतु आवदेन प्रस्तुत किया है उस श्रेणी की अन्य औषधियां अनुज्ञप्ति में पूर्व से स्वीकृत होने संबंधी प्रमाण/उल्लेख।
   - यदि अतिरिक्त औषधियां किसी नई केटेगरी/ श्रेणी की हो तो उसके संबंध में उल्लेख करना तथा उसके निर्माण हेतु उपलब्ध व्यवस्था मशीनरी आदि की सूची।
   - प्रदेश में स्थित अन्य निर्माता द्वारा निर्माण की जा रही आवेदित औषधि का विवरण।
   - अन्य प्रदेश के निर्माता द्वारा निर्माण की जा रही औषधि की श्रेणीवार सूची तथा प्रत्येक औषधि का विवरण संलग्न प्रारूप अनुसार जो मध्यप्रदेश के किसी निर्माता को स्वीकृत नहीं है।
   - औषधि महानियंत्रक (भारत) नई दिल्ली द्वारा दी गई स्वीकृती का दस्तावेज।

- उप औषधि नियंत्रक (भारत सरकार) द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ आवश्यक हो)
- आवेदित औषधि का ड्राफ्ट लेबल (लोन लायसेंस के प्रकरणों में)
- फार्माकोपियल रिफरेन्स/औषधि महानियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा जारी नई औषधि (ड्रग्स) योगो की सूची का वह पृष्ठ हो जहाँ आवेदित औषधि को औषधि महानियंत्रक द्वारा अनुमोदित किया गया है (दिनां)/ औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली द्वारा दी गई स्वीकृती का दस्तावेज (जहाँ आवश्यक हो)

4.3.4 कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–

- यूजर आई डी प्राप्त करना – निर्माता द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में यूजर आई डी तैयार करने हेतु दूरभाष/मोबाइल एस.एम.एस./ईमेल से राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन करने पर राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्माता का यूजर आई डी एवं पासवर्ड जारी किये जावेंगें। औषधि निर्माता द्वारा यूजर आई डी एवं पासवर्ड उपयोग करने पर एक प्रोफार्मा ऑन लाइन ही प्राप्त होता है। जिसमें उन्हें उनकी फर्म से संबंधित जानकारी भरना होगी। उसके पश्चात् औषधि निर्माता द्वारा उनको स्वीकृति औषधि अनुज्ञप्ति में औषधियों की अनुमति हेतु ऑन लाइन आवेदन कर सकेंगें। आवेदन करते समय आवेदक को उनका ई–मेल आई डी एवं मोबाइल नंबर देना होगा।
- आवेदन पर आवेदक के डिजिटल हस्ताक्षर होने पर ही आवेदन मान्य किया जायेगा एवं आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अन्य दस्तावेज स्वयं हस्ताक्षरित स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।
- डिजिटल हस्ताक्षरित आवेदन जमा होने के साथ आवेदन की ऑन लाइन ही पावती तैयार होगी। जिसकी प्रति आवेदक द्वारा प्रिंट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- ऑन लाइन जमा होते ही आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी के यूजर आई डी पर प्रदर्शित होने लगेगा।

4.3.5 पूर्व से प्रदत्त औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों में अतिरिक्त योगों के समायोजन का निर्धारित शुल्क :–

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों में औषधियों की अनुमति संबंधी शुल्क का प्रावधान है। इस हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन के लेखा शीर्ष निम्नानुसार है :–

0210 – मेडिकल एण्ड पब्लिक हैल्थ
04 – पब्लिक हैल्थ
104 – फीस एण्ड फाइन
(5) लायसेंस फीस एण्ड फाइन
अन्डर ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट

निर्धारित शुल्क नेटबैंकिंग/डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा की जावेगी।

4.3.6 पूर्व से प्रदत्त औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों में अतिरिक्त योगों के समायोजन की प्रक्रियाः–

- औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति में अतिरिक्त योगों के समायोजन हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन मय समस्त दस्तावेजों की स्केन प्रति के साथ राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी हो प्राप्त होने पर आवेदन की स्क्रूटनी हेतु उनके अधीनस्थ पदस्थ टेक्नीकल सेल को अंकित करना।
- टेक्नीकल सेल द्वारा प्राप्त आवेदन की स्क्रूटनी कर अपने अभिमत सहित राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी को निर्णय लिये जाने हेतु भेजना।

- राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा टेक्नीकल के अभिमत पर निर्णय लेकर औषधि निर्माण अनुमति डिजीटल हस्ताक्षर कर जारी अथवा कमी पूर्ति हेतु सेल आवेदक को डिजिटल हस्ताक्षर कर सचूना पत्र जारी करना अथवा आवेदन निरस्त करना।
- टेक्नीकल सेल की रिर्पोट में कोई प्रच्छा (QUERY) होने की स्थिति में टेक्नीकल सेल को पुनः अंकित करना।
- अनुमति जारी होने की स्थिति में अतिरिक्त औषधियों की अनुमति ऑन लाइन आवेदक की ई मेल आई डी पर स्वतः प्रेषित होगी ऐसी अनुमति में पदाभिहीत अधिकारी अर्थात् राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर किये जायेंगें।

Manufacturing Inclusion Process Service Flowchart

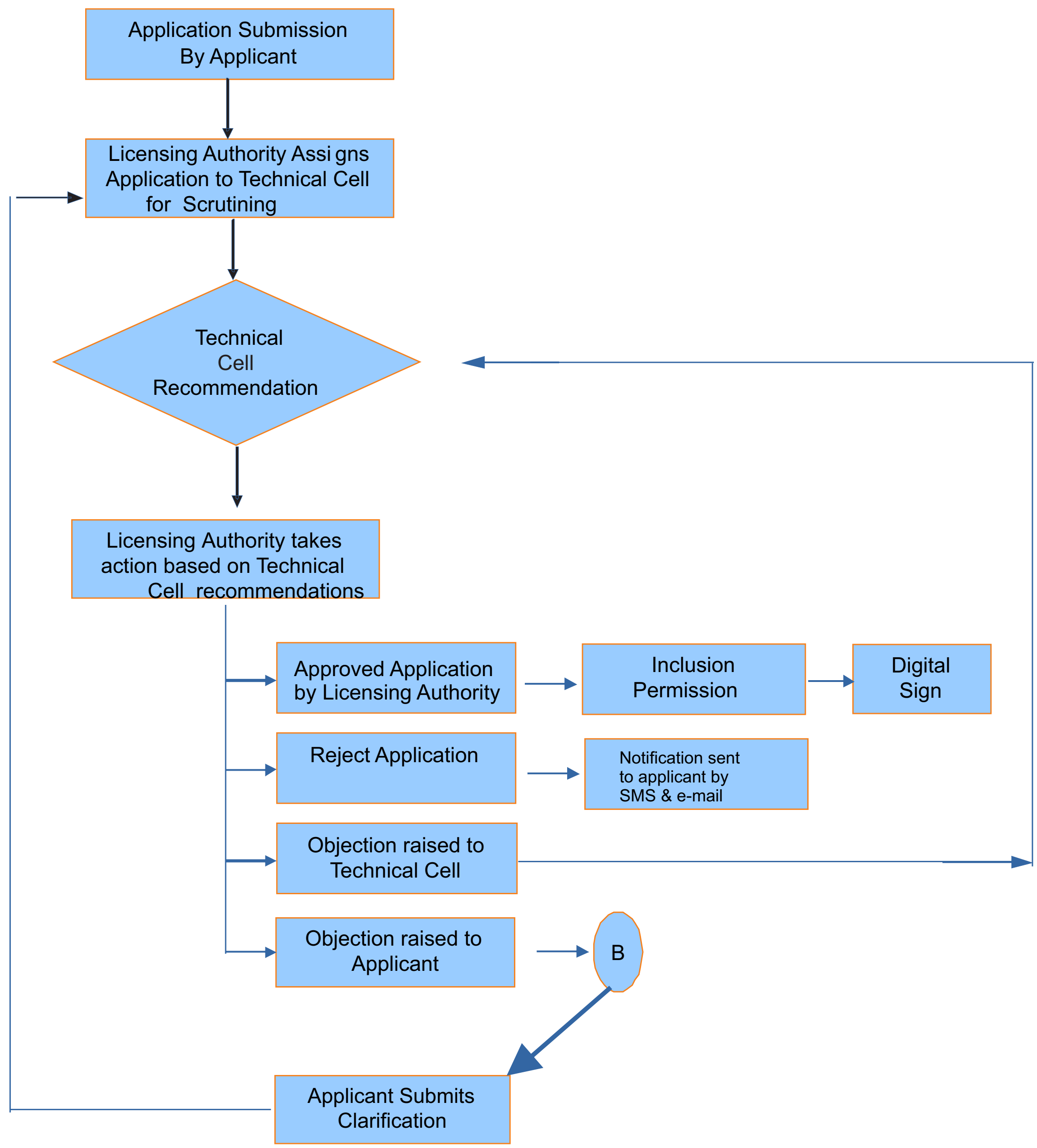

MP Online Portal पर सिस्टम का संचालन

1. Drug Manufacturer Profile Creation
2. Drug Manufacturer Firm Details Updation
3. Drug Manufacturer Firm License Details Updation
4. Document Briefcase (Uploading of relevant documents)
5. Apply for New/Renewal of Licence/Inclusion Permission
6. Non Conviction Performance/Market Stading Certificates/Change in constitution/Change in premises Manufacturing and Marketing Certificate/Change in Constitution
7. Digital Sign application form
8. Make Payment & print receipt

Manufacturing profile creation

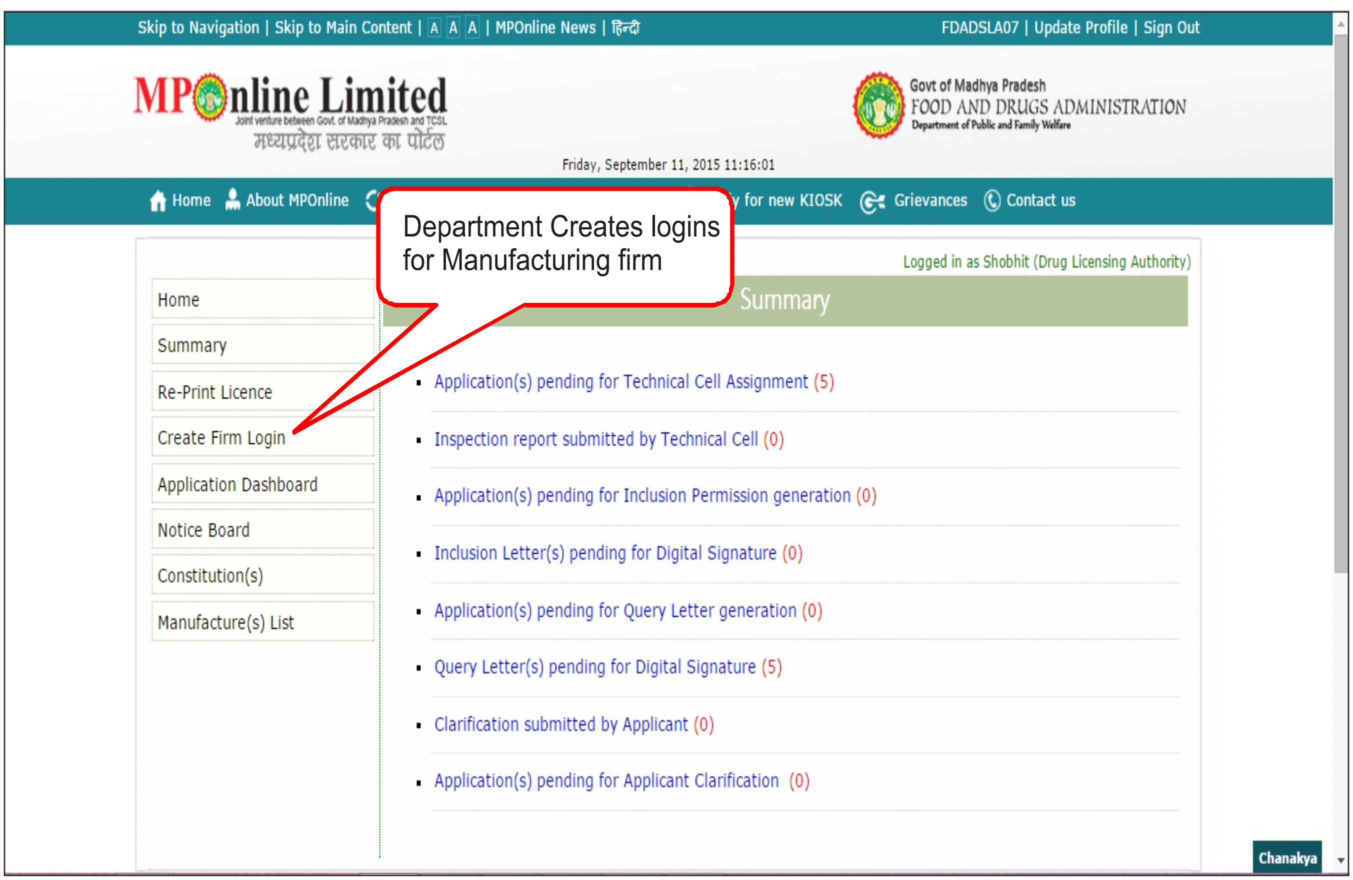

Manufacturer Login

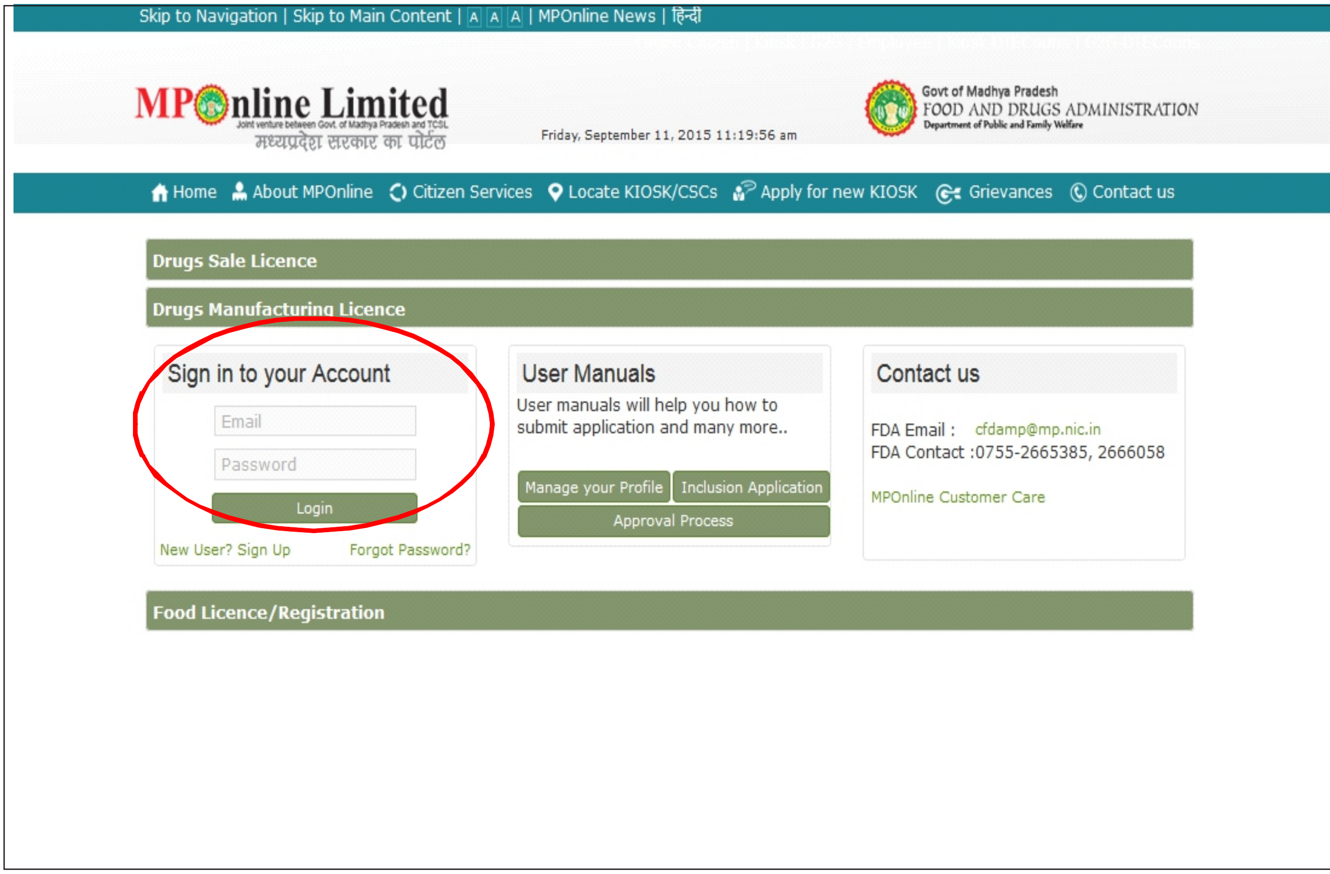

Manufacturer Profile Home Page

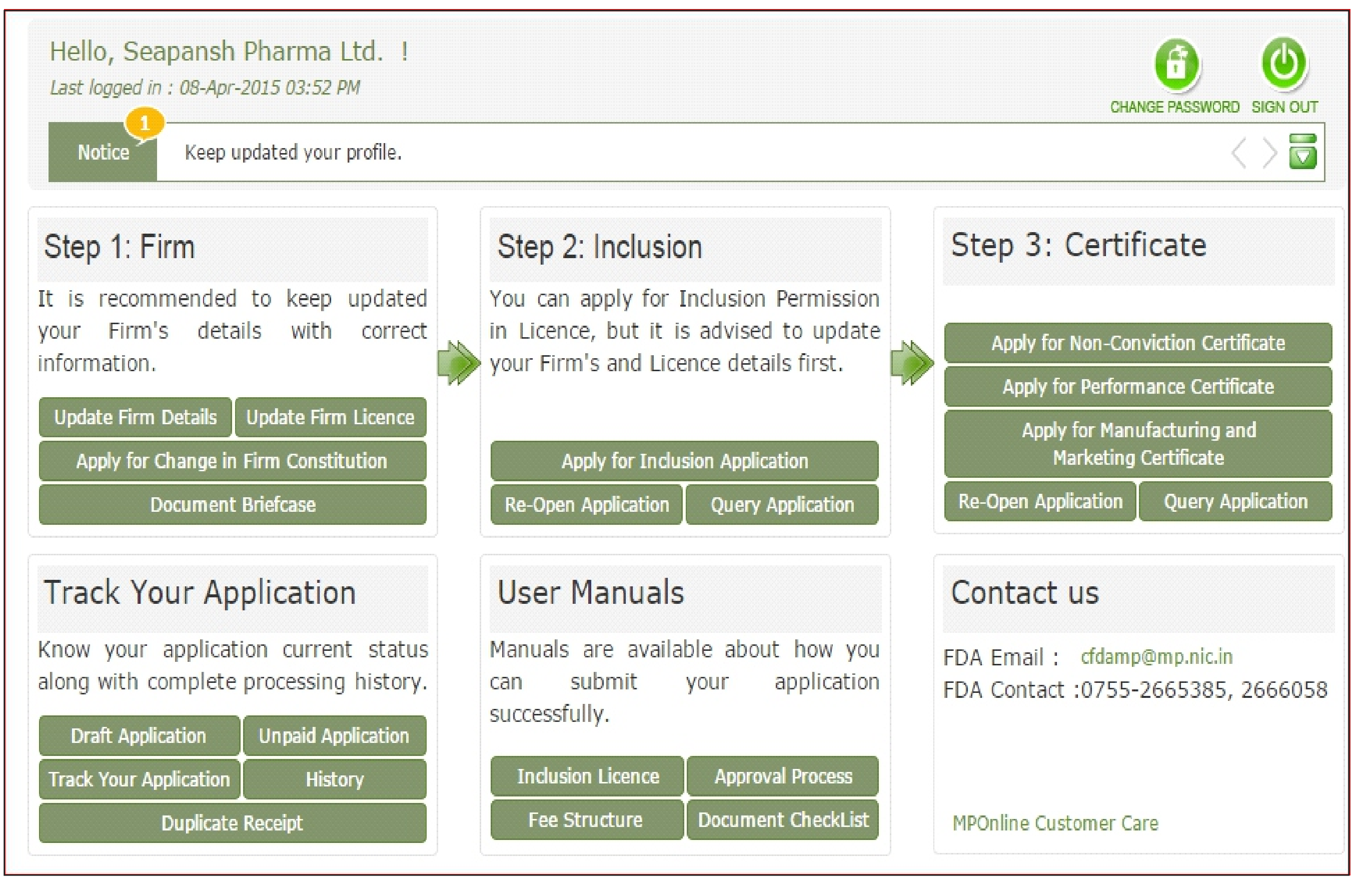

Notice board for Manufacturers

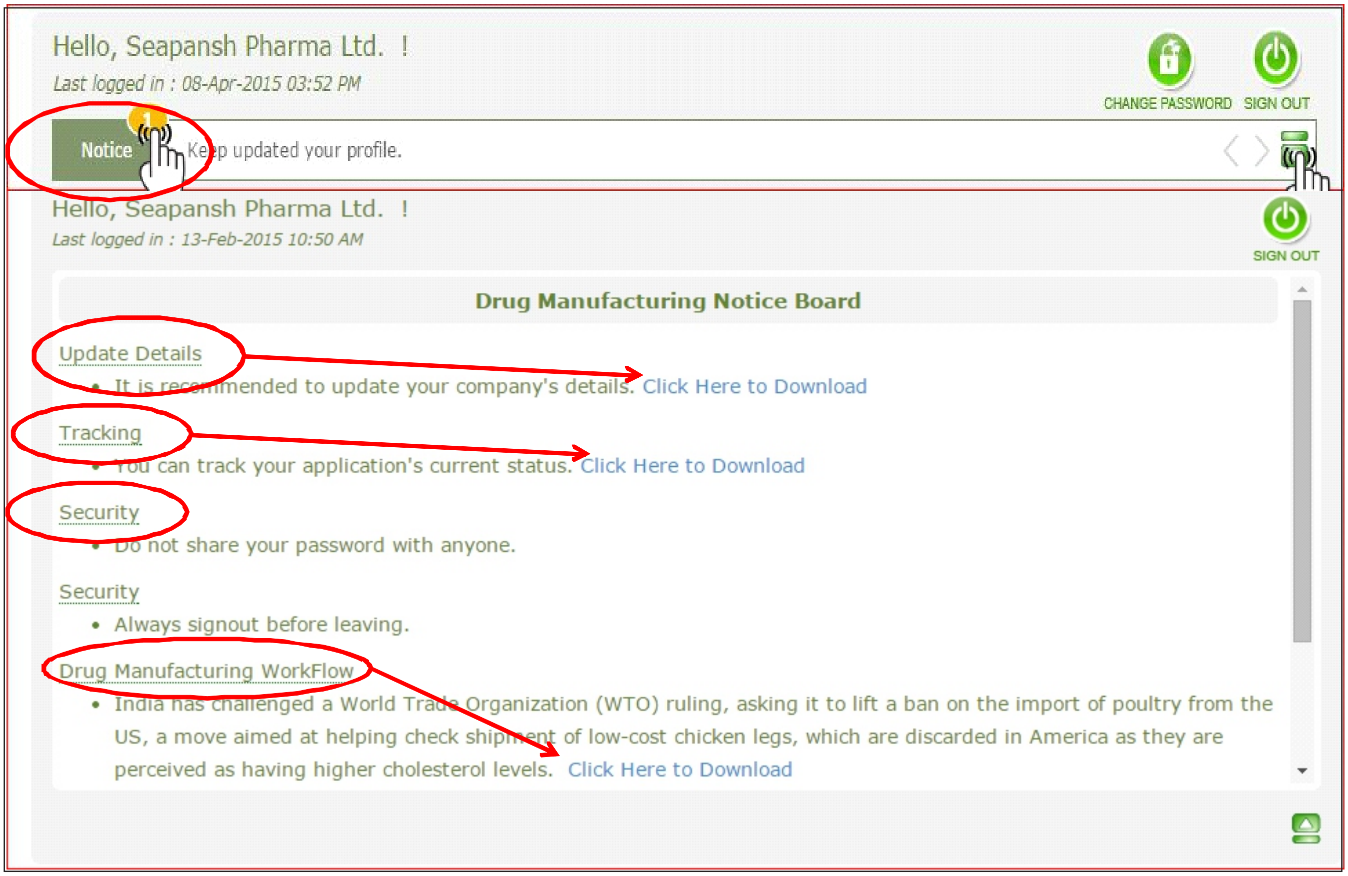

Apply for Product

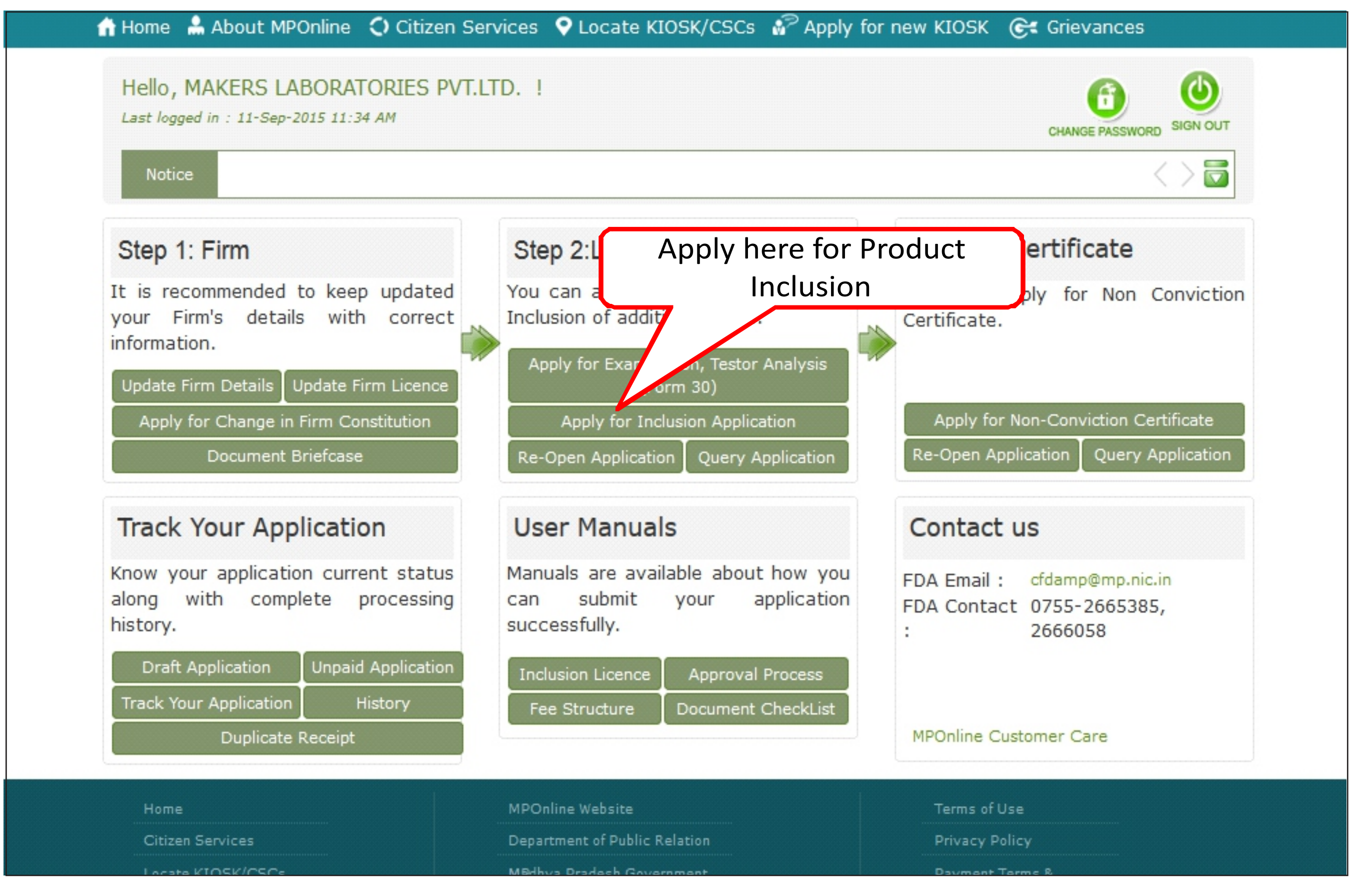

Application form for Inclusion of product(s) in License

Firm Details

Name of Firm	**Seapansh Pharma Ltd.**
Address of Firm	E-23,Nehru Nagar , District: BHOPAL

Select Licence*

	Licence Category	Licence Form	Licence No.	Issue Date	Validity Date
○	Drug Manufacturing Licence	25	Form 20	01/12/2012	30/12/2014
○	Drug Manufacturing Licence	28	Form 25	30/11/2012	30/12/2014
○	Drug Manufacturing Licence	28-D	sfsd	01/12/2014	30/12/2014
○	Drug Manufacturing Licence	28-B	Form 19	31/01/2014	11/11/2014
○	Drug Manufacturing Licence	25-F	FORM 25-F	01/01/2014	29/01/2015
○	Cosmetic Loan Licence	32-A	CLL 32-A	31/12/2014	07/02/2015
○	Cosmetics Manufacturing Licence	32	ssadasd	28/12/2014	22/01/2015

Product Details

Name of Product*

Category* Select

Each * Contains

Name of Active Ingredient	Pharmacopoeial Monograph	Strength	Strength Unit	
	-Select-			Add

Reference*

☑ For Export

NOC Number (with full file No. & Date)	
Name of Countries	
Quantity	
Pack Detail	

Upload Below Documents

Note: Only .Jpeg, .Jpg and .pdf files are allowed !

1. Pharmacopial Monograph
   Choose file No file chosen
2. Method of Analysis*
   Choose file No file chosen
3. Master Manufacturing Formula*
   Choose file No file chosen
4. Stability Data*
   Choose file No file chosen
5. Any other related document
   Choose file No file chosen

Add Product | Clear

Application sent back with remarks by LA

Service Home

ReOpen Inclusion Application (Hold Application for Clarification)

Application No.	Licence Form	Applied Date	Pending Since	Action	
BPLIN15CLL07	32-A	29-01-2015 17:16:48	71 Days	ReOpen	ReOpen
BPLIN15LL143	25-A	24-03-2015 16:34:16	17 Days	ReOpen	ReOpen

Drugs Manufacturing ReOpen Inclusion Application

Remarks : trtrggsg

S.No.	Product Details	Uploaded Documents	
1.	Name of Product: sdfsdf Category: Cosmetics, Cleansing Milks, **Each sdfsdf Contains:** ./,/,-09-9asdaasdaklsd-09""""0kljsdfsd dfgn kdfgkl lkdfg ldfkgkl ldkfg l dkfgl ldkjfglld USP sdf sdf testgdfgfgdfgdfg oherdds E98B6h aWV0Ay Reference: sdf./,.//sd-0- ☑ For Export NOC Number (with full file No. & Date) : Name of Countries : Quantity : Pack Detail :	1. Pharmacopial Monograph 2. Method of Analysis 3. Master Manufacturing Formula 4. Stability Data 5. Others	Edit

Digitally Signed Application for Inclusion

30-May-2015

To,

The Licensing Authority,
Food And Drugs Administration,
Idgah Hills,
Bhopal, Madhya Pradesh.

Sub : Application for inclusion of item(s) in our drug Mfg Licence No. : **25/3/2009**

Dear Sir,
We are submitting here with following document for inclusion for item(s) in our Drug Manufacturing Licence No. : **25/3/2009** in the Form No. : **25**.

A fee of Rupees **300.00**/- will be credited to Government under the head of account 0210 Medical and Public Health, 04 Public Health, 104 Fees and fines, (5) Lic Fees under Drugs and Cosmetics Rules.

Hope above said documents will fulfill your requirements and request you to kindly do the needful in the subject matter.

Thanking you,
Yours faithfully,
Teva API India Limited

Validity unknown
Digitally Signed By MUNESHWAR SINGH
(Personal)
Date : 06-Jun-2015 13:36:07 IST

(Authorised Signatory)

List of Item(s) for Inclusion

S.No.	Product Name	Composition
1.	Ticagrelor (For Export) NOC Number (with full file No. &Date):- 198/WZ-2015/TEVA API INDIA LTD/3354 Name of Countries:- CHINA,SPAIN,POLLAND,HOLLAND,REPUBLIC OF KOREA,BRAZIL Quantity:- 500 EACH EXCEPT 1000 KG FOR CHINA Pack Detail:- 5/10/50/100 KG	Ticagrelor IS

G2G Login

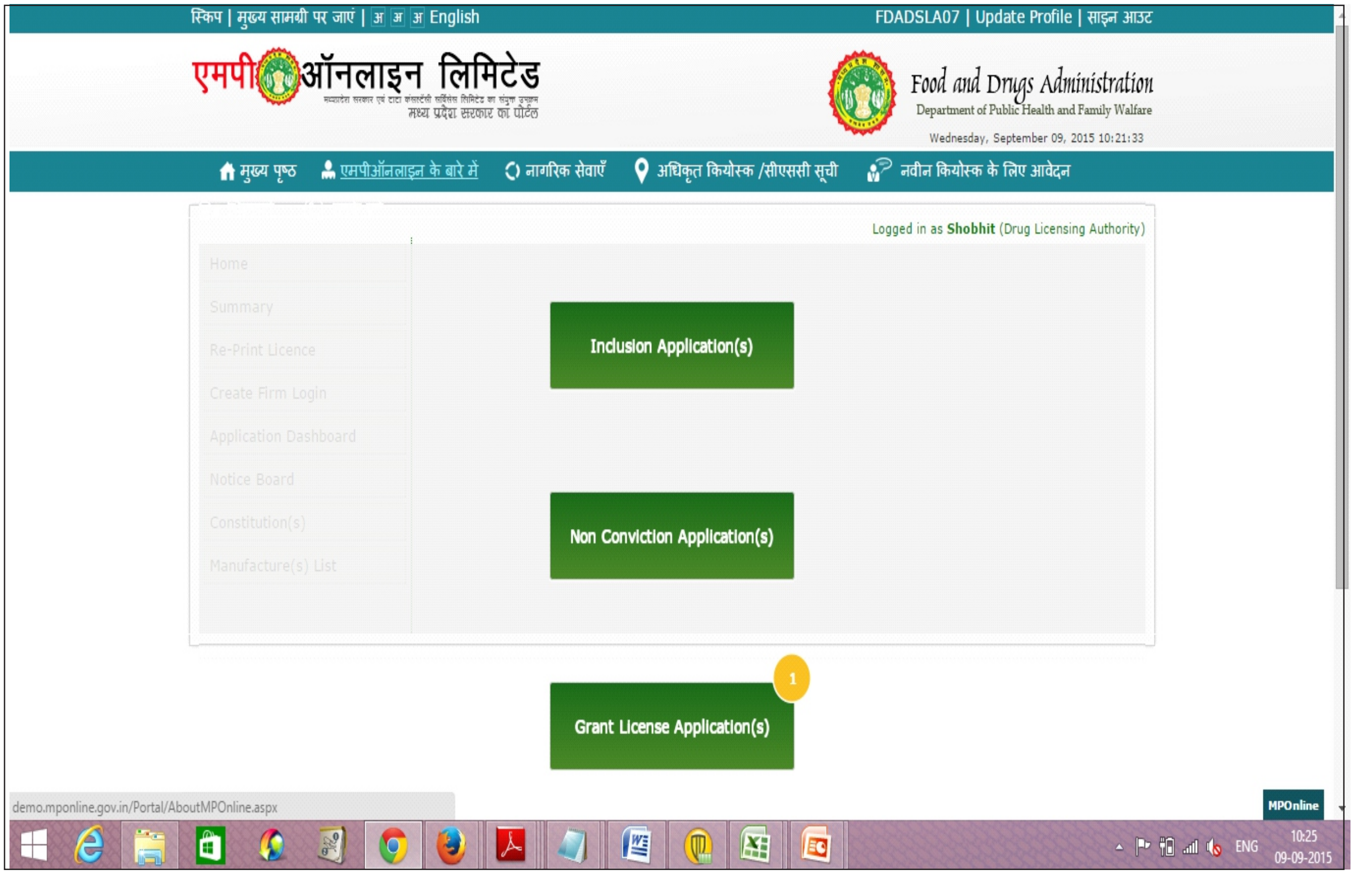

LA Profile Page for Inclusion Application

Assign to Technical cell for Scrutiny

Application Details

Application Details

Application Number	**DHRIN15DML668**
Name of Firm	Symbiotec Pharmalab Private Limited
Address of Firm	Plot No.5,6,7 & 8, Special Economic Zone, Phase II, Pharma Zone, Pithampur , District: DHAR

Transaction Details

Transaction Id :	15090920423206464511	**Application Fee :**	300.00
Service Name :	Food & Drugs Administration	**Portal Charge :**	25.00
Payment Mode :	Net Banking	**Total Paid Amount :**	325.00
Payment Status :	Paid		

Company Licence Details

Category Description	Licence Form	Licence No.	Issue Date	Validity Date	Section
Drug Manufacturing Licence	28	28/8/2009	25/07/2014	24/07/2019	Manufacturing of Active Pharmaceutical Ingrediants

Formula Details

S.No.	Details	Upload Documents
1.	Name of Product: MEGESTROL ACETATE - IP / BP / EP / USP Category: Active Pharmaceutical Ingredients (Bulk Drugs), IP BP EP USP Reference: The applied product is in Indian Pharmacopoeia. For Export	1. Pharmacopial Monograph 2. Method of Analysis 3. Master Manufacturing Formula 4. Stability Data 5. Others

Assign to Technical Cell :

Licensing Authourity Recommendation :	Send Back to Applicant for Correction Reject
Select Technical Cell Authority :	---select---
Remark:	

Assign Reset

LA Action On Inclusion Application

Inspection report submitted by Technical Cell - Google Chrome

demo.mponline.gov.in/portal/Services/FDA/Manufacture/G2GPages/LA/ScrutinyReportbyTCPopup.aspx?AppID=DWXIN15DML583

Application Details

Download Application Form

View Previous Application

Application Details

Application Number	DWXIN15DML583
Name of Firm	M/s. Sun Pharmaceutical Industries Limited
Address of Firm	Industrial Area No- 3 A. B. Road Dewas-455001 M.P. , District: DEWAS

Transaction Details

Transaction Id :		Application Fee :	0.00
Service Name :		Portal Charge :	100.00
Payment Mode :		Total Paid Amount :	100.00
Payment Status :	Paid		

Firm Licence Details

Formula Details

Licensing Authourity Recommendations: Preview Inclusion Permission Before Approve

Recommendation :	Approve Send Back to Applicant for Correction Send Back to Technical Cell for Clarification Not Approve
Remark :	
NOC Remarks :	

There is no row at position 0.

Submit

Generation Of License

OFFICE OF THE CONTROLLER FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION
MADHYA PRADESH

No. : BIXIN15DML355 , Bhopal,Dated: 06-Jun-2015

To,

Teva API India Limited,
Q-1 to Q-4 Industrial Area Ghirongi Malanpur,
(Dist.) - BHIND,
Madhya Pradesh.

Sub : Inclusion of item(s) in the Drug Mfg. Lic. No. : 25/3/2009

Permission is hereby accorded for inclusion item(s) as per list enclosed in your Drugs Manufacturing Lincence No. : 25/3/2009 in the Form No. : 25 Valid upto 10-May-2019

List Enclosed [1 Item(s)]

Please keep this letter with your original Licence for inspection by the authorised concerned

Digitally Signed By (FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION)
Date : 06-Jun-2015 IST

LICENSING AUTHORITY
FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION
MADHYA PRADESH

No. : BIXIN15DML355 Bhopal, Dated: 06-Jun-2015

Copy forwarded to :

1. The Drugs Inspector C/o Dy. Director, Food And Drugs Administration, BHIND for information.

LICENSING AUTHORITY
FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION
MADHYA PRADESH

Page 1 Note : This is a Digitally Signed document On 06/06/2015 05:39 PM

List of Item(s) for Inclusion

S.No.	Product Name	Composition
1.	Ticagrelor (For Export) NOC Number (with full file No. &Date):- 198/WZ-2015/TEVA API INDIA LTD/3354 Name of Countries:- CHINA,SPAIN,POLLAND,HOLLAND,REPUBLIC OF KOREA,BRAZIL Quantity:- 500 EACH EXCEPT 1000 KG FOR CHINA Pack Detail:- 5/10/50/100 KG	Ticagrelor IS

Page 2 Note : This is a Digitally Signed document On 06/06/2015 01:34 PM

4.4 सृजन ओ.डी.एल.एस के माध्यम से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की नियमावली, 1945 के अंतर्गत औषधियों के परीक्षण, जांच/विश्लेषण हेतु जारी की जाने औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों का विवरण एवं उनके प्रदाय की प्रक्रिया :–

4.4.1 औषधियों के परीक्षण, जांच/विश्लेषण के संबंध में जारी की जाने औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों हेतु आवेदन :–

औषधियों के परीक्षण, जांच/विश्लेषण हेतु जारी की जाने वाली औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों की अनुमति प्राप्ति हेतु आवेदन ऑनलाइन जमा किया जावेगा जिसकी सुविधा एम.पी.ऑन लाइन के पोर्टल www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

4.4.2 औषधियों के परीक्षण, जांच/विश्लेषण के संबंध में जारी की जाने वाली औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों को प्राप्त करने की पात्रता :–

औषधियों के परीक्षण, जांच/विश्लेषण के संबंध में जारी की जाने औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में प्रावधानित है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के अंतर्गत औषधि के परीक्षण हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञप्तियों का विवरण निम्नानुसार है:–

अ. क्र.	अनुज्ञप्ति फार्म क्र.	आवेदन प्रपत्र क्र.	आवश्यक शुल्क प्रति आवेदन	पात्रता हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम
1	29	30	250/–	89 एवं 90

नोट :– एम.पी.ऑन लाइन का पोर्टल शुल्क रूपये 1000/– प्रति आवेदन होगा।

4.4.1 आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज की सूची :–

1. आवेदित आयटम का फार्माकोपियल मोनोग्राफ
2. आवेदित आयटम के अन्य दस्तावेज जैसे कि :–
   - जिस श्रेणी की औषधियों के अनुमति हेतु आवदेन प्रस्तुत किया है उस श्रेणी की अन्य औषधिया अनुज्ञप्ति में पूर्व से स्वीकृत होने संबंधी प्रमाण/उल्लेख।
   - यदि अतिरिक्त औषधियां किसी नई केटेगरी/ श्रेणी की हो तो उसके संबंध में उल्लेख करना तथा उसके निर्माण हेतु उपलब्ध व्यवस्था मशीनरी आदि की सूची।
   - प्रदेश में स्थित अन्य निर्माता द्वारा निर्माण की जा रही आवेदित औषधि का विवरण।
   - अन्य प्रदेश के निर्माता द्वारा निर्माण की जा रही औषधि की श्रेणीवार सूची तथा प्रत्येक औषधि का विवरण संलग्न प्रारूप अनुसार जो मध्यप्रदेश के किसी निर्माता को स्वीकृत नहीं है।
   - औषधि महानियंत्रक (भारत), नई दिल्ली द्वारा दी गई स्वीकृती का दस्तावेज।
   - उप औषधि नियंत्रक (भारत सरकार) द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ आवश्यक हो)
   - फार्माकोपियल रिफरेन्स/औषधि महानियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा जारी औषधि (ड्रग्स) की सूची को वह पृष्ठ जहां दिनांक अंकित हो जहा आवेदित औषधि को औषधि महानियंत्रक द्वारा अनुमोदित किया गया है / औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली द्वारा दी गई स्वीकृती का दस्तावेज (जहाँ आवश्यक हो)

4.4.4 कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–

- आवेदन पर आवेदक के डिजिटल हस्ताक्षर होने पर ही आवेदन मान्य किया जायेगा एवं आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अन्य दस्तावेज स्वंय हस्ताक्षरित स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।
- डिजिटल हस्ताक्षरित आवेदन जमा होने के साथ आवेदन की ऑन लाइन ही पावती तैयार होगी। जिसकी प्रति आवेदक द्वारा प्रिंट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- ऑन लाइन जमा होते ही आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी के यूजर आई डी पर प्रदर्शित होने लगेगा।

4.4.5 औषधियों के परीक्षण, जांच/विश्लेषण के संबंध में जारी की जाने औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों को प्राप्त करने का निर्धारित शुल्क :– औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों में औषधियों की अनुमति संबंधी शुल्क का प्रावधान है। इस हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन के लेखा शीर्ष निम्नानुसार है :–

0210 – मेडिकल एण्ड पब्लिक हैल्थ
04 – पब्लिक हैल्थ
104 – फीस एण्ड फाइन
(5) लायसेंस फीस एण्ड फाइन
अन्डर ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट

निर्धारित शुल्क नेटबैंकिंग/डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा की जावेगी।

4.4.6 औषधियों के परीक्षण, जांच/विश्लेषण हेतु औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति को जारी करने की प्रक्रिया:–

- औषधियों के परीक्षण, जांच/विश्लेषण हेतु औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति बाबत् आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन मय समस्त दस्तावेजों की स्केन प्रति के साथ राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी हो प्राप्त होने पर आवेदन की स्क्रूटनी हेतु उनके अधीनस्थ पदस्थ टेक्नीकल सेल को अंकित करना।
- टेक्नीकल सेल द्वारा प्राप्त आवेदन की स्क्रूटनी कर अपने अभिमत सहित राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष निर्णय लिये जाने हेतु भेजना।
- राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निर्णय लेकर अवलोकन हेतु उप औषधि नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत करना।
- उप औषधि नियंत्रक द्वारा राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी को अंकित करना।
- राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेकर औषधियों के परीक्षण, जांच/विश्लेषण हेतु औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति डिजीटल हस्ताक्षर कर जारी अथवा कमी पूर्ति हेतु आवेदक को सूचना पत्र जारी करना अथवा आवेदन निरस्त करना।
- अनुमति जारी होने की स्थिति में अनुमति ऑन लाइन आवेदक की ई मेल आई डी पर स्वतः प्रेषित होगी ऐसी अनुमति में पदाभिहीत अधिकारी अर्थात् राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर किये जायेंगें एवं कमी पूर्ति के संबंध में भी आवेदक को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ कमी पूर्ति हेतु सूचना पत्रक उनकी ई–मेल आई डी पर स्वतः ही प्रेषित हो जावेगा।

4.5 सृजन ओ.डी.एल.एस के माध्यम से औषधि अनुज्ञप्तिधारी को अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र जारी करने का विवरण एवं प्रदाय की प्रक्रिया :–

4.5.1 औषधि अनुज्ञप्तिधारी को अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र हेतु आवेदन :–

औषधि अनुज्ञप्तिधारी को अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में कोई पृथक से आवेदन का प्रारूप नही है आवेदन ऑन लाइन जमा किया जावेगा एवं यह सुविधा एम.पी.ऑन एवं यह सुविधा एम.पी.ऑन लाइन के पोर्टल www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

4.5.2 औषधि अनुज्ञप्तिधारी को अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता :–

अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु केवल औषधि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ही आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। जिसके लिये आवेदक द्वारा पोर्टल शुल्क रुपये 500/– देय होगा।

4.5.3 आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :–

- अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्तियों की प्रति (उत्पाद के अनुरूप औषधि निर्माण अनुमति यदि मान्य हो तो)
- अनुज्ञप्तिधारी का दोषसिद्ध न होने संबंधी शपथ पत्र।

4.5.4 कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–

- आवेदक द्वारा आवेदन स्वंय हस्ताक्षरित दस्तावेजों की स्केन प्रति के साथ ऑन लाइन किया जावेगा।
- डिजिटल हस्ताक्षरित आवेदन जमा होने के साथ आवेदन की ऑन लाइन ही पावती तैयार होगी। जिसकी प्रति आवेदक द्वारा प्रिंट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- ऑन लाइन जमा होते ही आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी के यूजर आई डी पर प्रदर्शित होने लगेगा।

4.5.5 अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र प्रदाय की प्रक्रिया :–

- आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन मय समस्त दस्तावेजों की स्केन प्रति के साथ राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्राप्त होने पर आवेदन की स्क्रूटनी हेतु उनके अधीनस्थ पदस्थ टेक्नीकल सेल को अंकित करना।
- टेक्नीकल सेल द्वारा प्राप्त आवेदन को विधि शाखा के रिकार्ड के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी की दोषसिद्धि संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु विधि शाखा के धारक को अंकित करना।
- विधि शाखा धारक द्वारा विधि शाखा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी के दोषसिद्धि होने अथवा न होने की जानकारी के साथ पुनः टेक्नीकल सेल को आगामी कार्यवाही हेतु अंकित करना।
- टेक्नीकल सेल द्वारा आवेदन की स्क्रूटनी कर एवं विधि शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार अपने अभिमत सहित राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।
- राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निर्णय लेकर उप औषधि नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत करना।
- उप औषधि नियंत्रक द्वारा राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिये गये निर्णय से सहमत होना अथवा आवश्यक सुझाव के साथ राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी को पुनः विचार हेतु अंकित करना।

- राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऑनलाइन ही आवेदक को अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र में/आवेदक द्वारा चाहे गये प्रपत्र में) जारी करना अथवा कमी पूर्ति हेतु आवेदक को सूचित करना अथवा आवेदन निरस्त करना।
- अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र जारी होने की स्थिति में अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र ऑन लाइन ही आवेदक की ई मेल आई डी पर स्वतः प्रेषित होगा। जिसमें राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर किये जायेंगें एवं कमी पूर्ति के संबंध में भी आवेदक को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ कमी पूर्ति हेतु सूचना पत्रक उनकी ई–मेल आई डी पर स्वतः ही प्रेषित हो जावेगा।

Flowchart of Grant of License for Test or analysis

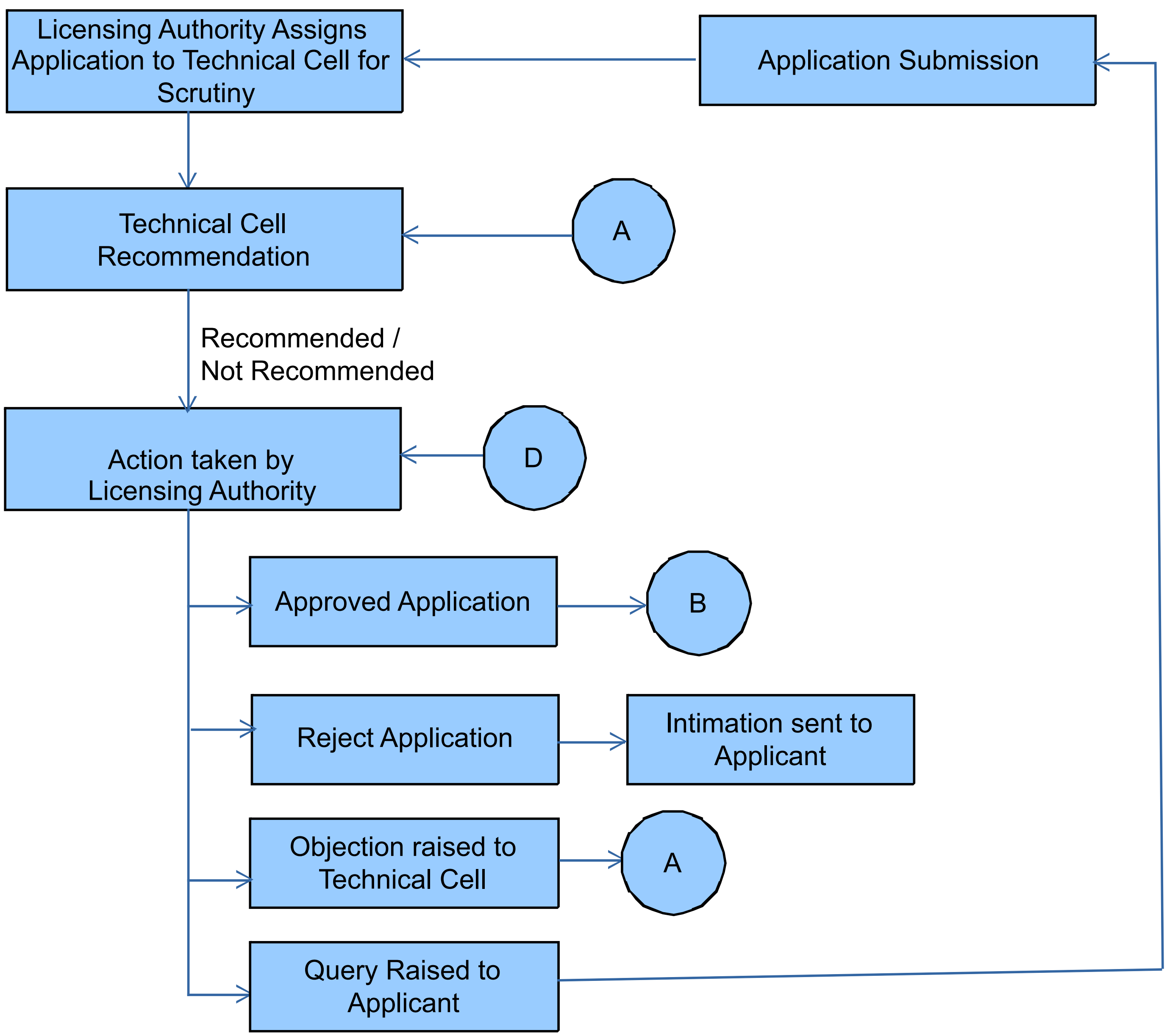

Flowchart of Grant of License for Test or analysis

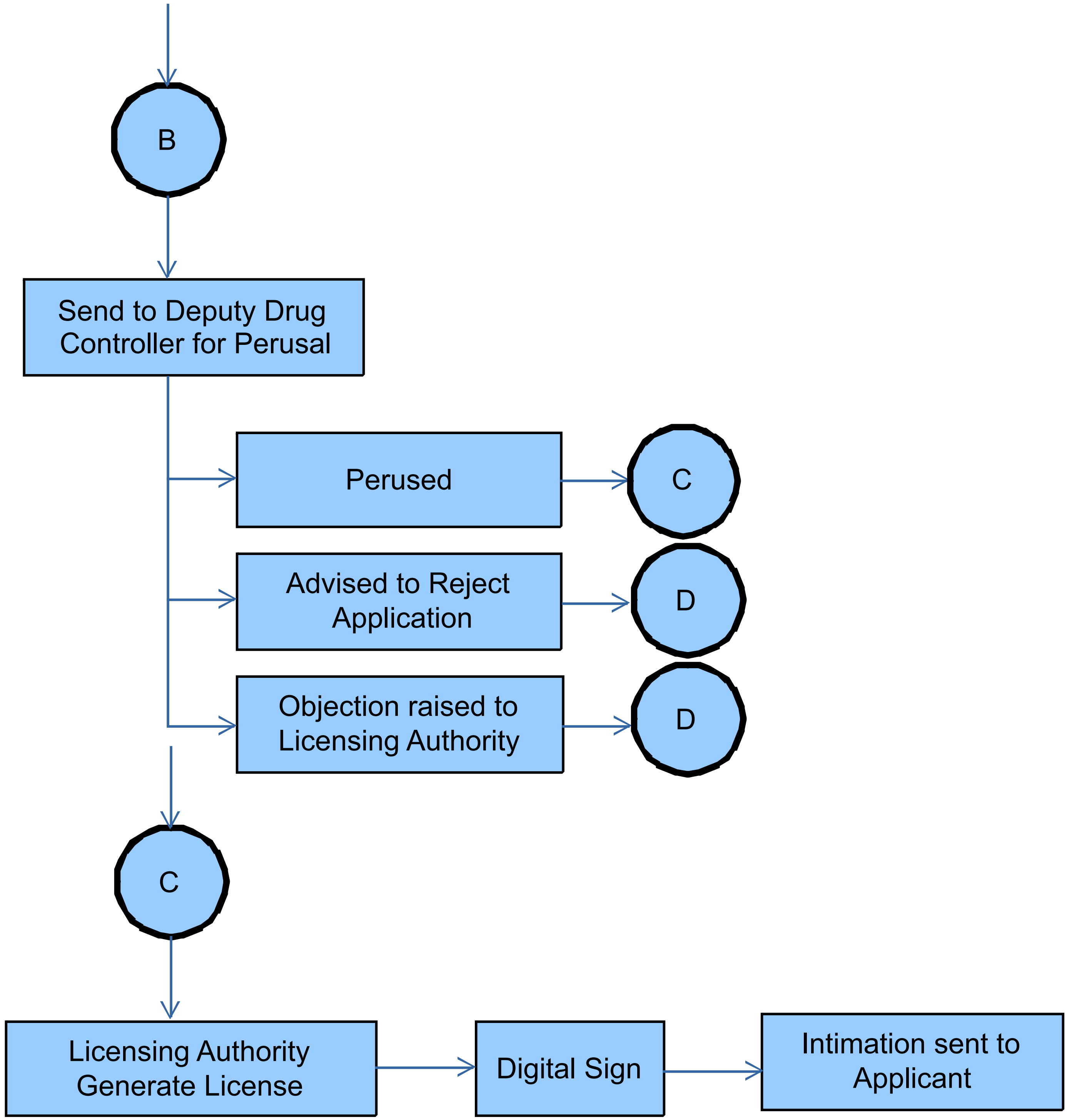

सृजन ओ.डी.एल.एस. के बारे में संभावित प्रश्न व उत्तर
Frequently asked questions (FAQs)

स.क्र	प्रश्न	उत्तर
1	ऑन लाइन ड्रग सेल लायसेंस की प्रक्रिया किस दिनांक से लागू की गई है ?	ऑन लाइन ड्रग सेल लायसेंस प्रदाय की प्रक्रिया दिनांक 01 जनवरी 2015 से लागू की गई है।
2	ऑनलाइन ड्रग सेल लायसेंस प्राप्ति हेतु आवेदन कहाँ करन होगा ?	ऑनलाइन ड्रग सेल लायसेंस प्राप्ति हेतु आवेदक को एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल www.mponline.gov.in पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की लिंक पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा। तदोपरान्त आवेदन फार्म, फार्म 19, को डिजिटल हस्ताक्षरित करके आवेदन जमा किया जाता है।
3	लायसेंस प्राप्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से है?	लायसेंस प्राप्ति हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की सूची एम. पी.ऑनलाइन के पोर्टल पर यूजर में मेनूअल उपलब्ध है।
4	ऑनलाइन लायसेंस प्राप्ति हेतु फीस कैसे जमा होगी?	`डिट कार्ड/डेबिट कार्ड/ऑनलाइन ही जमा होगी।
5	आवेदक को कैसे पता चलेगा की लायसेंस तैयार है, अथवा किस स्तर पर है?	आवेदक को आवेदन करने के पश्चात प्रत्येक स्तर पर स्वजनित मैसेज एवं ई–मेल प्राप्त होते है, एवं आवेदक द्वारा एपलीकेशन ट्रेकर के माध्यम से भी आवेदन की स्थिति/प्रगति प्राप्त की जा सकती है।
6	ऑनलाइन ड्रग सेल लायसेंस प्राप्त करने हेतु दस्तावेजों को किस स्वरूप मे जमा करावे?	ऑनलाइन ड्रग सेल लायसेंस प्राप्त करने हेतु दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना है एंव प्रोपरायटर का डिक्लेरेशन एवं फार्मासिस्ट का एफिडेविट अपलोड करना है जिसका प्रारूप यूजर मेनूअल पर उपलब्ध है।
7	एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल का चार्ज क्या है?	नवीन औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल का चार्ज 150 रूपये प्रति आवेदन है, एवं औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल का चार्ज 100 रूपये प्रति आवेदन है।
8	डिजिटल साइन क्या है?	डिजिटल साइन एक इलेक्ट्रॉनिकली प्रेषित दस्तावेज है, जिसमे एक डिजीटल कोड होता है जो एक प्रेषक की पहचान को सत्यापित करता है।

9	क्या आवेदन करने के बाद फार्म 19 मे कोई परिवर्तन किया जा सकता है?	नहीं।
10	एक से अधिक पार्टनर होने कि स्थिति मे डिजिटल हस्ताक्षर किसके मान्य होगें?	किसी भी एक पार्टनर के, जिसको पावर ऑफ अटोर्नी दी गई हो।
11	ऑनलाइन इनक्लूजन हेतु यूजर आई–डी एंव पासवर्ड कैसे प्राप्त होगा?	यूजर आई–डी एंव पासवर्ड की प्राप्ति हेतु आवेदक को अधिकारी के कार्यालय मे ई–मेल के माध्यम से आवेदन करना पडेगा।
12	इनक्लूजन की फीस क्या है?	प्रति आयटम लायसेंस फीस 300 रूपये एवं पोर्टल फीस 25 रूपये है।
13	Query के पुनः जमा करते समय क्या पुनः पोर्टल फीस ली जावेगी?	हां। 100 रूपये प्रति आवेदन।
14	क्या होलसेल लायसेंस एवं रिटे लायसेंस हेतु एक साथ ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है ?	जी हाँ।
15	ऑन लाइन इनक्लूजन की प्रि या कब से लागू है	दिनांक 26.01.2015
16	आवेदित उत्पाद का इन्क्लूजन न होने की स्थिति में सूचना कैसे प्राप्त होगी।	क्वेरी लेटर ऑनलाइन ही प्राप्त होगा।

(6)

कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

क्रमांक – व्ही/मिस/92/2014/ 72 भोपाल, दिनांक 7-1-15

प्रति,

1. समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.
2. समस्त उपसंचालक खाद्य एव औषधि प्रशासन म.प्र.
3. समस्त अनुज्ञापन प्राधिकारी (औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति) म.प्र.
4. समस्त औषधि निरीक्षक म.प्र.

विषयः– औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अंतर्गत औषधि के विक्रय, वितरण, भण्डारण के लिये अनुज्ञप्तियों के प्रदाय/नवीनीकरण एवं तत्संबंधी कार्यवाही हेतु पूर्व प्रशासकीय व्यवस्था का स्थगन।

संदर्भः– 1. इस प्रशासन का परिपत्र क्रमांक स्टेनो/91/1292 भोपाल दिनांक 11.04.91
2. म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक स्टेनो/200/1580 भोपाल दिनांक 13.04.2000

उपरोक्त विषयांतर्गत वर्ष 1991 के पूर्व औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्रदाय, नवीनीकरण, निलंबन एवं निरस्तीकरण के अधिकार संबंधित जिलाध्यक्षों को प्राप्त थे। तत्पश्चात् औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में अनुज्ञापन प्राधिकारी की अर्हताओं में किये गये संशोधन के फलस्वरूप खाद्य एवं औषधि प्रशासन म.प्र. के अधिकारियों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अंतर्गत औषधि विक्रय प्रदान, नवीनीकरण, निलंबन एवं निरस्तीकरण के अधिकार विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से राज्य शासन द्वारा दिये जाते है। वर्ष 1991 में हुये बदलाव के दृष्टिगत प्रारंभित तौर पर प्रशासकीय व्यवस्था के मद्देनजर संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से प्रशासनिक आदेश जारी किये गये थे। जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी नवीन औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व नस्ति को जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगें एवं उनके प्रशासकीय अवलोकन/अनुमोदन के पश्चात ही नवीन अनुज्ञप्ति जारी करेंगें ऐसा निर्देशित किया गया था।

दिनांक 01.01.2015 से औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति जारी करने की ऑन लाइन प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाना है तथा तैयार सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति जारी किया जाना है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की नियमावली, 1945 के अंतर्गत औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्रदाय एवं नवीनीकरण के संदर्भ विधिवत अधिकार अनुज्ञापन प्राधिकारी में विहित होकर जिलाध्यक्ष प्रशासकीय समाधान का कोई नियमों में प्रावधान नहीं है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों का लायसेंस जारी करने हेतु पर्याप्त अनुभव हो चुका है। अतः जिलाध्यक्ष के प्रशासनिक समाधान की तत्कालीन प्रक्रिया अब समीचीन नहीं रह गई है।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अधीन विहित औषधि विक्रय लायसेंस जारी करने की प्रक्रिया के दृष्टिगत ऑन लाइन सिस्टम के तहत् अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार औषधि विक्रय लायसेंस जारी किया जावेगा। पूर्व में जारी प्रशासकीय व्यवस्था के अंतर्गत् औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नस्ती संबंधित जिलाध्यक्षों के समक्ष प्रशासकीय अवलोकन/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था समाप्त की जाती है।

6/1/15
नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक – व्ही/मिस/92/2014/ 73 भोपाल, दिनांक 7-1-15

प्रतिलिपि

1. माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
3. उप औषधि नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. स्टेनो, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. स्थापना/लेखा/विधि शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।

6/1/15
नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

①

कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

क्रमांक – व्ही / मिस / 92 / 2014 / 279 भोपाल, दिनांक 24-1-2015

प्रति,

राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश।

विषयः– औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी फर्म की अनुज्ञप्ति में अतिरिक्त औषधियों के उत्पादों की अनुमति हेतु ऑनलाइन व्यवस्था।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम, 1945 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी फर्मों को अनुज्ञप्ति में अतिरिक्त औषधियों की अनुमति दी जाती है। वर्तमान में आवेदक द्वारा अतिरिक्त औषधियों के उत्पादों की अनुमति हेतु लिखित आवेदन (हार्ड कापी में) मय चालान के आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा किया जाता है एवं तदोपरांत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जाकर नियंत्रक के अवलोकन पश्चात् राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त योगों की अनुमति जारी की जाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया लिखित रूप से विधिवत नस्ति तैयार कर पूर्ण की जाती है।

अब दिनांक 26.01.2015 से औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति में अतिरिक्त उत्पादों की अनुमति ऑन लाइन जारी की जावेगी। अनुमति जारी करने के पूर्व नियंत्रक को अवलोकन हेतु भेजने की पूर्व प्रक्रिया को अब समाप्त किया जाता है। अनुमति जारी करने के पश्चात् उसकी सूचना नियंत्रक एवं उप औषधि नियंत्रक को दी जावेगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन औषधि निर्माताओं द्वारा औषधि के अतिरिक्त योगों की अनुमति हेतु फीस चालान के माध्यम से दिनांक 25.01.2015 अथवा उसके पूर्व जमा की है, उनके आवेदनों को ऑफ लाइन स्वीकार किया जा सकेगा।

अतिरिक्त योगों की अनुमति ऑन लाइन जारी करने हेतु एम.पी.ऑन लाइन द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जो कि एम.पी.ऑन लाइन के पोर्टल www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। इस तैयार सॉफ्टवेयर तथा ऑन लाइन सिस्टम का अध्ययन कर लें एवं दिनांक 26.01.2015 से औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति में अतिरिक्त योगों की अनुमति तैयार सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑन लाइन जारी किया जाना सुनिश्चित करें। ऑन लाइन सॉफ्टवेयर से अतिरिक्त योगों की अनुमति जारी करते समय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में वर्णित / विहित समस्त औपचारिकताओं का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

24/1/15
नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

क्रा./प्र.

निरंतर..........

②

. 2 .

पृ. क्रमांक – व्ही/मिस/92/2014/280 भोपाल, दिनांक 24-1-2015

प्रतिलिपिः–

1. माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
3. उप औषधि नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त औषधि निरीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम. पी. ऑन लाइन, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.) – 462026 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. श्री गौतम कोठारी, अध्यक्ष पीथमपुर औद्योगिक संगठन 231, साकेत नगर इंदौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ। समस्त औषधि निर्माताओं को कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।
6. म.प्र. लघु औषधि निर्माता संगठन, 29 स्नेहलतागंज 104, श्रीनाथ निकेतन इंदौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ। समस्त औषधि निर्माताओं को कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।
7. म.प्र. फार्मास्युटिकल मेन्युफेक्चरर आर्गेनाजेशन,सायनो फार्मा प्रायवेट लिमिटेड 115 सी इंड्रस्टियल स्टेट पोलो ग्रांउड इंदौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ। समस्त औषधि निर्माताओं को कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।
8. स्थापना/लेखा/विधि/स्टेनो शाखा की ओर सूचनार्थ।.

24/1/15
नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

क्रमांक व्ही/मिस/38/2015 भोपाल, दिनांक

आदेश

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम, 1945 के अंतर्गत औषधि विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का प्रावधान है। उक्त नियमावली के नियम 64 में औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्रदाय के पूर्व आवश्यक शर्तों का उल्लेख है। नियम 64 की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान प्रक्रिया अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्रदाय के पूर्व औषधि निरीक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। वर्तमान में अपनाई जा रही प्रक्रिया में निर्णय लेने में समय लगता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 64 में औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्रदाय के पूर्व निरीक्षण (Pre inspection) की कोई बाध्यता नहीं है। यद्यपि अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति प्रदाय के पूर्व नियम में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति के संबंध में संतुष्ट होना आवश यक है। जहाँ तक अनुज्ञापन प्राधिकारी की संतुष्टि का प्रश्न है इस हेतु आवेदक द्वारा पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य आवेदन के साथ उपलब्ध कराये जाते हैं।

औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण त्वरित रूप से किया जा सके इस हेतु औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व औषधि निरीक्षकों द्वारा किये जा रहे पूर्व निरीक्षण(Pre inspection) की बाध्यता को समाप्त करते हुये औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्रदाय पश्चात् निरीक्षण(Post inspection) की प्रक्रिया को लागू किया जाता है। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी दस्तावेजी साक्ष्य संतुष्टि पश्चात् औषधि विक्रय लायसेंस जारी कर सकेगें। प्रतिष्ठान के स्थल व माप के संबंध में और सुनिश्चितता हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों व फोटोग्राफ्स पर किन्हीं दो नागरिकों के प्रतिहस्ताक्षर कराये जाएं । आवेदक को इन नागरिकों के वोटर पहचान/आधार कार्ड अथवा अन्य कोई पहचान पत्र की प्रतिलिपि आवेदन के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। खेरची (रिटेल) औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के उपरांत तीन माह एवं थोक औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के उपरांत एक माह की अवधि में औषधि निरीक्षक द्वारा दवा प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया जाना आवश्यक होगा। यदि निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि आवेदन के साथ प्रस्तुत तथ्य वास्तविकता से परे हैं, तो लायसेंस निरस्तीकरण संबंधी कार्यवाही तत्काल की जाए । कूटरचित दस्तावेज आदि प्रस्तुत किए जाने की दशा में दांडिक कार्रवाई भी की जाए ।

यह व्यवस्था 6 जुलाई, 2015 से लागू होगी।

sd/-
नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांकः व्ही/मिस/38/2015/3968 भोपाल, दिनांक 2/07/2015

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. जिलाध्यक्ष, समस्त जिले मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. उप औषधि नियंत्रक मुख्यालय, की ओर सूचनार्थ।
5. उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, समस्त जिले, मध्यप्रदेश की सूचनार्थ।
6. राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
7. समस्त औषधि निरीक्षक (अनुज्ञापन प्राधिकारी)/औषधि निरीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर सूचनार्थ।
9. स्थापना/लेखा/गोपनीय शाखा की ओर सूचनार्थ।

2/7/15
नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 622] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2014—पौष 2, शक 1936

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-22.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.1	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18(सी) एवं नियमावली 1945 के नियम 68ए के अंतर्गत औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार) से प्रति-हस्ताक्षरित होकर प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के अंतर्गत अनुज्ञप्तियां जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	03 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	03 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

1243

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.2	केन्द्रीय अनुज्ञापन अनुमोदन प्रणाली के अलावा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के तहत अनुज्ञप्तियां जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	45 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
22.3	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18(सी) एवं नियमावली 1945 के नियम 68ए के अंतर्गत औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार) से अनुमोदित एवं प्रति-हस्ताक्षरित होकर प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के अंतर्गत अधिकतम 10 उत्पादों के लिए अनुमति जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	03 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	03 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
22.4	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18(सी) एवं नियमावली 1945 के नियम 68ए के अंतर्गत औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार) से अनुमोदित एवं प्रति-हस्ताक्षरित होकर प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के अंतर्गत 10 से अधिक उत्पादों के लिए अनुमति जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
22.5	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसों में अधिकतम 10 औषधियों की अनुमति जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	05 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	05 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.6	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसों में 10 से अधिक औषधियों की अनुमति जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
22.7	भारत सरकार से अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसों में अधिकतम 10 औषधियों की अनुमति जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	03 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	03 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
22.8	भारत सरकार से अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसों में 10 से अधिक औषधियों की अनुमति जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
22.9	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 59 का उपनियम (1) के अंतर्गत संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति जारी करना.	संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश (संबंधित जिले के).	30 कार्य दिवस	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

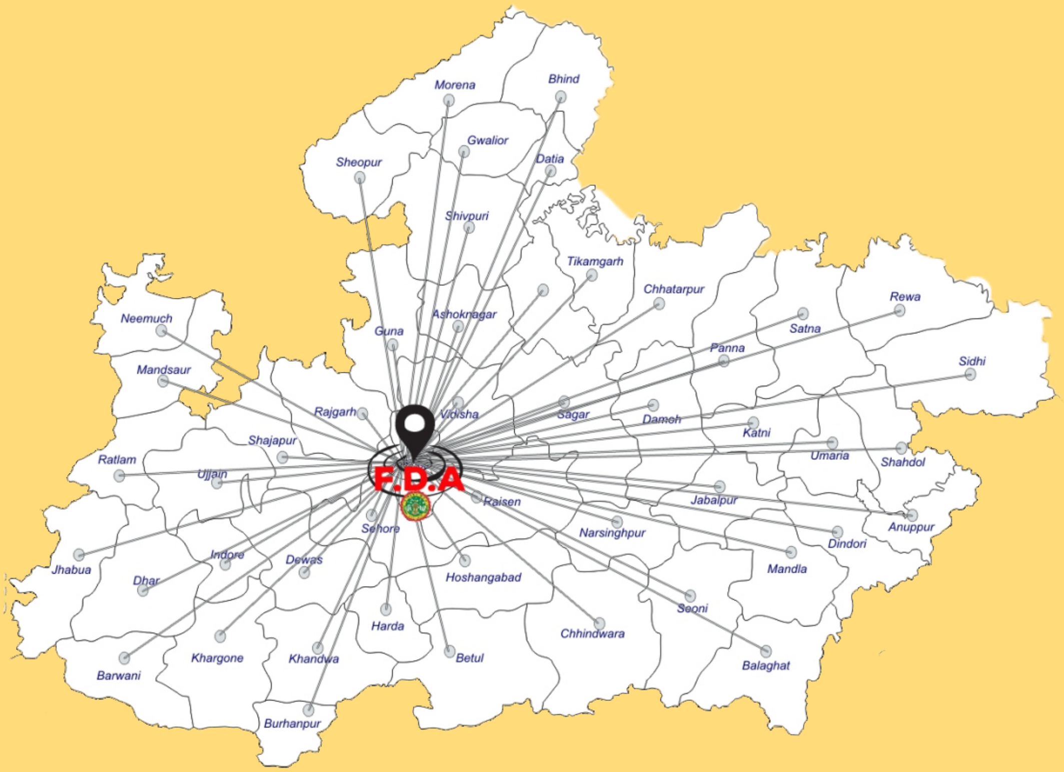

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के समस्त जिला कार्यालयो में
ऑन लाइन निराकरण हेतु इंटरनेट की सुविधा

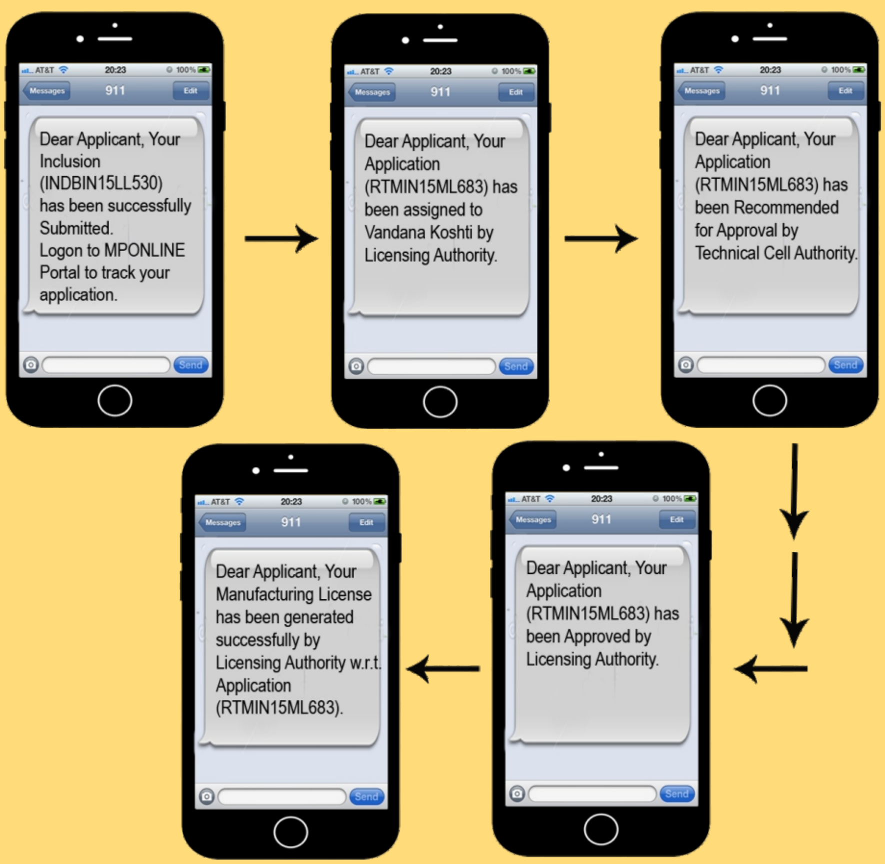

आवेदक के मोबाइल पर sms की सुविधा

सृजन O.D.L.S. सुझाव या शिकायत हेतु नं. 07554019400
सृजन O.D.L.S. हेल्प डेस्क ई-मेल cfdamp@radiffmail.com,contact@mponline.gov.in